



उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन

1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिए)



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अनुसार
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का

उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन

(1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिये)

छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल
को प्रस्तुत



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

श्री के.आर. पिस्दा

अध्यक्ष

(अवधि दिनांक 17/01/2017 से निरंतर)

श्री शिवनारायण पाण्डेय

सदस्य

(अवधि दिनांक 5/12/2014 से निरंतर)

श्री सुकृत लाल साव

सदस्य

(अवधि दिनांक 22/05/2017 से निरंतर)

डॉ. मोतीलाल बाचकर

सदस्य

(अवधि दिनांक 05/10/2017 से निरंतर)

अध्यक्ष तथा सदस्यगणों के जीवनवृत्त का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट एक में दिया गया है।



विषय सूची

अध्यायों की सूची : -

अध्याय क्रमांक	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	1
2.	उत्पत्ति एवं विकास	2-3
3.	लोक सेवा आयोग के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान	08
4.	आयोग की संरचना	9-10
5.	आयोग द्वारा जारी किए गए विज्ञापन	11
6.	ऑनलाइन आवेदन	12
7.	परीक्षा	13
8.	अंतिम चयन	14-16
9.	आयोग के कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग	17
10	भर्ती नियम, सेवा नियम	18
11	पदोन्नतियाँ	19-20
12	अनुशासनिक मामले	21
13	वित्त	22
14	न्यायालयीन प्रकरण	23
15	सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रकरणों के निराकरण की जानकारी	24-25
16	कृतज्ञता ज्ञापन	26

परिशिष्टों की सूची : -

परिशिष्ट	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	आयोग के माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यों के जीवन वृत्तान्त।	27-30
2.	आयोग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी दिनांक 31/03/2020 की स्थिति में	31-32
3.	अंतिम चयन	33-36
4.	सूचना प्रौद्योगिकी	37-40
5.	विभागीय भर्ती नियम में आयोग का अभिमत दिये जाने का विवरण	41
6.	विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजित बैठकों का विवरण	42-45
7.	विभागीय जांच/अनुशासनिक कार्यवाही/अपील प्रकरणों का विवरण	46-70
8.	मांग संख्या 01, लेखा शीर्ष 2051 लोक सेवा आयोग, (102) राज्य लोक सेवा आयोग, (3689) राज्य लोक सेवा आयोग, आयोजनेत्तर, वित्तीय वर्ष 2019-20 (माह 01/04/2019 से 31/03/2020 तक) व्यय एवं समर्पण	71-74



अध्याय -एक

प्रस्तावना


भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अन्तर्गत आयोग का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन माननीय राज्यपाल को प्रस्तुत है। इस प्रतिवेदन में वर्ष 2019-20 के लिए आयोग की मुख्य गतिविधियों का समावेश किया गया है। उक्त अवधि में आने वाले महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेख करना प्रासंगिक है।

- प्रतिवेदित वर्ष में सीधी भर्ती के कुल 369 पदों के विरुद्ध 360 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची राज्य शासन के संबंधित विभागों को भेजी गई है।
- विभागीय पदोन्नति समिति के मामलों में प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान आयोग को पदोन्नति प्रकरणों में शासन के लगभग सभी विभागों से पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसके फलस्वरूप उक्त अवधि में विभागीय पदोन्नति समिति की कुल 37 बैठकें आयोजित की गईं। उक्त बैठकों में 16 विभाग के विभिन्न पदों पर 351 अधिकारियों की पदोन्नति की गई।
- आयोग द्वारा संपादित कार्यों में गुणवत्ता एवं चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं और यह कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन करके एवं आधुनिक तकनीकों के उपयोग से ही संभव हो पा रहा है। आयोग ने इस दिशा में कार्य करते हुए कम्प्यूटर आधारित ऑनलाईन परीक्षाएं आयोजित की हैं। इस अवधि में कुल 06 ऑनलाईन परीक्षा 04 विभागों की आयोजित की गई है।
- वर्तमान आयोग कार्यालय जल संसाधन विभाग के पुराने विश्रामगृह में संचालित है। जगह की कमी से कार्यालय संचालन में कठिनाई है। नया रायपुर में आयोग कार्यालय हेतु सर्वसुविधायुक्त भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटन पश्चात् तथा भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति उपरान्त एन.आर.डी.ए. द्वारा भवन निर्माण का कार्य दिनांक 26.06.2018 से प्रारंभ हो चुका है। भवन निर्माण का कार्य आगामी जनवरी/फरवरी 2021 में पूर्ण होना संभावित है।

मैं आशा करता हूँ, कि भविष्य में भी आयोग को शासन से अपेक्षित सहयोग प्राप्त होता रहेगा, जिससे कि अपेक्षाओं के अनुरूप आयोग अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए कार्यों में अधिक गुणवत्ता लाने की दिशा में सार्थक प्रयास कर सके।

स्थान: रायपुर

दिनांक : 28/01/2021



(टामन सिंह सोनवानी)
अध्यक्ष

अध्याय - दो उत्पत्ति एवं विकास

लोक सेवा आयोगों के संस्थापन का आरंभ वर्ष 1919 में तत्कालीन अंग्रेजी शासकों द्वारा भारत के लिये स्वायत्त शासन की आवश्यकता के आधार पर किया गया है। 5 मार्च 1919 के भारतीय वैधानिक सुधार विषयक प्रथम प्रेषणा पत्र में कहा गया कि—

“अधिकतर राज्यों में, जहाँ स्वायत्त शासन की स्थापना हो चुकी है, इस बात की आवश्यकता अनुभूत की जाती है, कि सार्वजनिक सेवाओं को राजनीतिक प्रभावों से सुरक्षित रखना चाहिए और उसके हेतु एक ऐसा स्थायी कार्यालय स्थापित किया जावे, जो विविध सेवाओं का नियंत्रण करता हो। हम लोग इस समय भारत में ऐसे सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना के लिये उद्यत नहीं हैं, परंतु हम देख रहे हैं, कि ये सेवाएँ, क्रम से, अधिकाधिक मंत्रियों के नियंत्रण में आती जाएँगी, जिसके कारण यह उचित है, कि इस प्रकार की स्वायत्त संस्था का आरंभ किया जाय।”

1919 के भारतीय शासन विधान में इस भावना की व्यावहारिक अभिव्यक्ति मिलती है। उसमें एक सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना का विधान था, जिसकी सेवाओं के लिये पदाधिकारियों की भर्ती, भारत की सार्वजनिक सेवाओं का नियंत्रण तथा ऐसे अन्य कर्तव्य होंगे, जिनका निर्देश सपरिषद भारत सचिव करेंगे। परंतु उस आयोग की स्थापना तत्काल नहीं हुई। 1923 में, लॉर्ड ली के नेतृत्व में, एक रॉयल कमीशन नियुक्त हुआ, जिसको भारत उच्च सेवाओं के लिये विचार एवं विवरण प्रस्तुत करना था। उस कमीशन ने, अपने 27 मार्च 1924 के विवरण में, लोक सेवा आयोग की स्थापना की आवश्यकता पर विशेष बल दिया, जिसका 1919 के विधान में संकेत किया गया था। उसका प्रस्ताव था, कि उक्त आयोग के निम्नलिखित चार मुख्य कार्य होंगे।

1. सार्वजनिक सेवाओं के लिये कर्मचारियों की भर्ती।
2. सेवाओं में प्रविष्ट होने वाले व्यक्तियों की योग्यताओं का विधान तथा उचित मान स्थिर करना,
3. सेवाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना तथा नियंत्रण एवं अनुशासन की व्यवस्था करना, जो लगभग न्यायविधान की कोटि का कार्य है।
4. सामान्य रूप से सेवा संबंधी समस्याओं पर परामर्श एवं अनुमति देना।

उक्त लोकसेवा आयोग की स्थापना 1926 के अक्टूबर मास में हुई। एक नियमावली बनाई गई, जिसमें इस बात का विधान था, कि अखिल भारत की प्रथम और द्वितीय श्रेणियों की सेवाओं के, उन प्रतियोगिता परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों के निर्धारण, जिनके द्वारा कर्मचारियों का निर्वाचन हो, उक्त सेवाओं के लिये पदोन्नति, अनुशासनीय कार्य, वेतन, भत्ते, पेंशन, प्रॉविडेंट फंड एवं पारिवारिक पेंशन विषय आदि मामलों में सरकार उससे परामर्श ले। किसी किसी वर्ग विशेष या सभी सेवाओं के नियमाधार तथा छुट्टी आदि के नियमों के प्रश्नों पर भी सरकार उक्त आयोग से परामर्श करेगी।

उक्त नियमावली में आयोग के लिये जो नियम निर्दिष्ट किए गए थे, उनका सुधार तथा स्थायीकरण उसी श्वेतपत्र के द्वारा हुआ, जिसमें वैधानिक सुधारों के लिये ऐसे प्रस्ताव थे, जिनके अनुसार प्रत्येक राज्यों के लिये भी आयोगों की स्थापना करने का विधान था। उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की व्यवस्था करना, जिनके द्वारा पदाधिकारियों का चुनाव हो, केंद्रीय तथा राज्यों के आयोगों का कर्तव्य बतलाया गया। सरकार को आयोगों से इसका भी परामर्श करना था, कि सेवाओं के लिये, किस प्रकार चुनाव के द्वारा नियुक्ति हो, पदोन्नति कैसे किए जाएँ, एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण कैसे किए जाएँ, आदि। उक्त श्वेतपत्र में यह प्रस्ताव भी किया गया था, कि सरकार को आयोगों से भिन्न विषयों पर भी परामर्श लेना चाहिए।

1935 के भारतीय विधान के परिच्छेद 266 में, उपर्युक्त प्रस्तावों को स्थायी रूप दिया गया। उसमें लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया गया। यह कहा जा सकता है, कि उक्त विधान के द्वारा ही आयोगों की अंतिम एवं स्थायी रूप में रचना की गई थी। आज के केंद्रीय अथवा राज्यों के आयोग का संगठन, रूप एवं आधार, सब उसी पर अवलंबित हैं।

स्वतंत्रता के बाद, संविधान सभा ने अनुभव किया, कि सिविल सेवाओं में निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करने के साथ ही सेवा हितों की रक्षा के लिए संघीय एवं प्रांतीय, दोनों स्तरों पर लोक सेवा आयोगों को एक सुदृढ़ और स्वायत्त स्थिति प्रदान करने की आवश्यकता है, तदनुसार केन्द्र तथा राज्यों में पृथक-पृथक लोक सेवा आयोग गठन करने का संवैधानिक प्रावधान किया गया।

सौजन्य :- विकिपिडिया

छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवम्बर 2000 को हुआ तथा उक्त संवैधानिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 23 मई 2001 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 315(1) के उपबंधों के अधीन किया गया है।

अध्याय - तीन

लोक सेवा आयोग के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान

लोक सेवा आयोग गठन के संबंध में भारत के संविधान के प्रावधान इस प्रकार हैं :-

अनु. 315. संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग:-

इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा।

अनु. 316. सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि :-

लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, यदि वह संघ आयोग या संयुक्त आयोग है तो, राष्ट्रपति द्वारा और, यदि वह राज्य आयोग है तो, राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी:

परन्तु प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे, जो अपनी-अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कम से कम दस वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं और उक्त दस वर्ष की अवधि की संगणना करने में इस संविधान के प्रारंभ से पहले की ऐसी अवधि भी सम्मिलित की जाएगी, जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने भारत के क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन पद धारण किया है।

1 (क) यदि आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि कोई ऐसा अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो यथास्थिति, जब तक रिक्त पद पर खंड (1) के अधीन नियुक्ति कोई व्यक्ति उस पद का कर्तव्य भार ग्रहण नहीं कर लेता है या जब तक अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता है, तब तक आयोग के अन्य सदस्यों में से ऐसा एक सदस्य, जिसे संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में उस राज्य का राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्ति करें, उन कर्तव्यों का पालन करेगा।

(2) लोक सेवा आयोग का सदस्य, अपने पद ग्रहण की तारीख से छह वर्ष की अवधि तक या संघ आयोग की दशा में पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक और राज्य आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा:

परन्तु—

(क) लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य, संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति को और राज्य आयोग की दशा में राज्य के राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(ख) लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को अनुच्छेद 317 के खंड (1) या खंड (3) में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा।

- (ग) कोई व्यक्ति, जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

अनु. 317. लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना:-

- (1) खंड (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर, यह प्रतिवेदन किए जाने के पश्चात् किया गया है, कि यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे किसी सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए।
- (2) आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को, जिसके संबंध में खंड (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में राज्यपाल उसके पद से तब तक के लिए निलंबित कर सकेगा, जब तक राष्ट्रपति ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय का प्रतिवेदन मिलने पर अपना आदेश पारित नहीं कर देता है।

(3) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि लोक सेवा आयोग का, यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य-

- (क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है, या
- (ख) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगाता है, या
- (ग) राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है, तो राष्ट्रपति, अध्यक्ष या ऐसे अन्य सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा।
- (4) यदि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, निगमित कंपनी के सदस्य के रूप में और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से अन्यथा, उस संविदा या करार से, जो भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा या निमित्त की गई या किया गया है, किसी प्रकार से संपृक्त या हितबद्ध है या हो जाता है या उसके लाभ या उससे उद्भूत किसी फायदे या उपलब्धि में भाग लेता है, तो वह खंड (1) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

अनु. 318. आयोग के सदस्यों और कर्मचारीवृंद की सेवा और शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति:-

संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में उस राज्य का राज्यपाल विनियमों द्वारा—

- (क) आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों का अवधारण कर सकेगा; और
- (ख) आयोग के कर्मचारीवृंद के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों के संबंध में उपबंध कर सकेगा :

परंतु लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

अनु. 319. आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध- पद पर न रह जाने पर-

- (क) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा ;
- (ख) किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा ;
- (ग) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा ;
- (घ) किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के रूप में अथवा उसी या किसी अन्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा ;

अनु. 320 लोक सेवा आयोगों के कृत्य :-

- (1) संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य होगा, कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें।
- (2) यदि संघ लोक सेवा आयोग से कोई दो या अधिक राज्य ऐसा करने का अनुरोध करते हैं, तो उसका यह कर्तव्य होगा, कि वह ऐसी किन्हीं सेवाओं के लिए, जिनके लिए विशेष अर्हताओं वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं, संयुक्त भर्ती की स्कीम बनाए और उनका प्रवर्तन करने में उन राज्यों की सहायता करें।
- (3) यथास्थिति, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग से –
 - (क) सिविल सेवाओं में और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर,
 - (ख) सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रोन्नति और अंतरण करने में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर और ऐसी नियुक्ति, प्रोन्नति या अंतरण के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर,
 - (ग) ऐसे व्यक्ति पर, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार की सिविल हैसियत में सेवा कर रहा है, प्रभाव डालने वाले, सभी अनुशासनिक विषयों पर, जिनके अंतर्गत ऐसे विषयों से संबंधित अभ्यावेदन या याचिकाएं हैं,

- (घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके संबंध में, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या भारत में क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन सिविल हैसियत में सेवा कर रहा है या कर चुका है, इस दावे पर कि अपने कर्तव्य के निष्पादन में किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित कार्यों के संबंध में उसके विरुद्ध संस्थित विधिक कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा उपगत खर्च का यथास्थिति, भारत की संचित निधि में से या राज्य की संचित निधि में से संदाय किया जाना चाहिए,
- (ङ) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या भारत में क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन सिविल हैसियत में सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई क्षतियों के बारे में पेंशन अनिर्णीत किए जाने के लिए किसी दावे पर और ऐसे अधिनिर्णय की रकम विषयक प्रश्न पर, परामर्श किया जाएगा और इस प्रकार उसे निर्देशित किए गए किसी विषय पर तथा ऐसे किसी अन्य विषय पर, जिसे यथास्थिति, राष्ट्रपति या उस राज्य का राज्यपाल उसे निर्देशित करे, परामर्श देने का लोक सेवा आयोग का कर्तव्य होगा :

परंतु अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में तथा संघ के कार्यकलाप से संबंधित अन्य सेवाओं और पदों के संबंध में भी राष्ट्रपति तथा राज्य के कार्यकलाप से संबंधित अन्य सेवाओं और पदों के संबंध में राज्यपाल उन विषयों को विनिर्दिष्ट करने वाले विनियम बना सकेगा, जिनमें साधारणतया या किसी विशिष्ट वर्ग के मामले में या किन्ही विशिष्ट परिस्थितियों में लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

- (4) खंड (3) की किसी बात से यह अपेक्षा नहीं होगी, कि लोक सेवा आयोग से उस रीति के संबंध में, जिससे अनुच्छेद 16 के खंड (4) में निर्दिष्ट कोई उपबंध किया जाना है या उस रीति के संबंध में, जिससे अनुच्छेद 335 के उपबंधों को प्रभावी किया जाना है, परामर्श किया जाए।
- (5) राष्ट्रपति या किसी राज्यपाल द्वारा खंड (3) के परंतुक के अधीन बनाए गए सभी विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, यथास्थिति, संसद् के प्रत्येक सदन या राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के समक्ष कम से कम चौदह दिन के लिए रखे जाएंगे और निरसन या संशोधन द्वारा किए गए ऐसे उपांतरणों के अधीन होंगे, जो संसद् के दोनों सदन या उस राज्य के विधान-मंडल का सदन या दोनों सदन उस सत्र में करें जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हैं।

अनु. 321 लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति :-

यथास्थिति, संसद् द्वारा या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संघ की या राज्य की सेवाओं के संबंध में और किसी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या किसी लोक संस्था की सेवाओं के संबंध में भी अतिरिक्त कृत्यों के प्रयोग के लिए उपबंध कर सकेगा।

अनु. 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय-

संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय, जिनके अंतर्गत आयोग के सदस्यों या कर्मचारिवृंद को या उनके संबंध में संदेय कोई वेतन, भत्ते और पेंशन हैं, यथास्थिति, भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे।

अनु. 323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन-

राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा, कि वह राज्य के राज्यपाल को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और संयुक्त आयोग का यह कर्तव्य होगा, कि ऐसे राज्यों में से प्रत्येक के, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त आयोग द्वारा की जाती है, राज्यपाल को उस राज्य के संबंध में आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और दोनों में से प्रत्येक दशा में ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, राज्यपाल उन मामलों के संबंध में, यदि कोई हों, जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई है, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा।

अध्याय -चार

आयोग की संरचना

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का गठन दिनांक 23.05.2001 को किया गया है।

आयोग, संविधान के अनुच्छेद 320 के अंतर्गत राज्य शासन के अधीन विभिन्न सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन करता है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन के विभिन्न विभागों में पदोन्नति के रिक्त पदों के लिए "पदोन्नति समिति" की बैठकें आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों की अध्यक्षता में की जाती है तथा विभागों के भर्ती नियमों एवं अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरणों में राज्य शासन को परामर्श दिया जाता है।

आयोग में पदस्थ अध्यक्ष तथा सदस्यों के संदर्भ में विवरण निम्नवत है :-

नाम	पदनाम	कार्यकाल
श्री के.आर. पिस्वा	अध्यक्ष	दिनांक 17.01.2017 से निरंतर
श्री शिवनारायण पाण्डेय	सदस्य	दिनांक 05.12.2014 से निरंतर
श्री सुकृत लाल साव	सदस्य	दिनांक 22.05.2017 से निरंतर
डॉ. मोतीलाल बाचकर	सदस्य	दिनांक 05.10.2017 से निरंतर

आयोग में निम्नानुसार अधिकारी पदस्थ रहे हैं :-

क्र.	नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण दिनांक
1	श्रीमती पुष्पा साहू (भा.प्र.से.)	सचिव	दिनांक 03.05.2018 से निरंतर
2	श्रीमती आरती वासनिक (रा.प्र.से.)	परीक्षा नियंत्रक	दिनांक 12.02.2019 से निरंतर
3	श्री जे.एस. गोंड	अवर सचिव	दिनांक 25.06.2005 से निरंतर
4	श्री आर.के. ध्रुव	अवर सचिव	दिनांक 08.10.2015 से निरंतर

आयोग हेतु स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं रिक्त पदों की जानकारी "परिशिष्ट—दो" में दी गई है।

➤ आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्यवस्था

राज्य शासन ने आयोग में 05 संवैधानिक पद (01 अध्यक्ष, 04 सदस्य) सहित कुल 164 अधिकारियों व कर्मचारियों की पद संरचना स्वीकृत किया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के गठन के पश्चात् प्रतिनियुक्ति के अधिकांश पदों पर राज्य परिवहन निगम के कर्मचारी आयोग में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए। साथ ही राज्य शासन द्वारा आयोग हेतु सांख्यिकी अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) का एक पद सीधी भर्ती से भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त विधि अधिकारी का एक पद सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु स्वीकृत है।

प्रतिवेदनाधीन अवधि में आयोग के अंतर्गत स्वीकृत कुल पद संख्या 164 के विरुद्ध 99 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है। कुछ पदों पर प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ किये गये हैं।

आयोग कार्यालय में कुल 164 पद स्वीकृत है जिसके विरुद्ध माननीय अध्यक्ष 01, माननीय सदस्य 04 संवैधानिक पद है। शेष पद आयोग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वृन्द के लिए स्वीकृत हैं जिनका श्रेणीवार विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	श्रेणी	अधिकारी/कर्मचारियों की स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या
1.	प्रथम श्रेणी	12	07
2.	द्वितीय श्रेणी	15	08
3.	तृतीय श्रेणी	95	47
4.	चतुर्थ श्रेणी	37	33
	योग	159	95

अध्याय - पांच

आयोग द्वारा जारी किए गए विज्ञापन

आयोग को वर्ष 2019-20 में राज्य शासन के विभिन्न विभागों से सिविल सेवाओं एवं पदों पर भर्ती हेतु प्राप्त मांग-पत्रों एवं आयोग द्वारा इसके परीक्षण उपरांत जारी विज्ञापनों का विवरण निम्नानुसार है:-

स.क्र.	पदनाम	विभाग का नाम	योग
1	2	3	4
1	राज्य सेवा परीक्षा-2019		242
2	राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-2020		89
3	व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2020	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	32
4	सहायक भू-जल विद्/सहायक भू-विद् सहायक भू-भौतिक विद् सहायक भू-रसायन विद्	जल संसाधन विभाग	5 1 1
5	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	पशुधन विकास विभाग	80
	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (बैकलॉग)		67
	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (निःशक्तजन विशेष बैकलॉग भर्ती)		15
6	बीमा चिकित्सा पदाधिकारी	श्रम विभाग	52
कुल योग:-			584

अध्याय - छः ऑनलाइन आवेदन

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित पदों हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात नियत समय के लिए अभ्यर्थियों को एक बार के लिए त्रुटि सुधार का अवसर प्रदान किया जाता है। वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा समस्त आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए गए। आमंत्रित किए गए ऑनलाइन आवेदनों का श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है।

स.क्र	विभाग का नाम	पद का नाम	कुल पद	कुल आवेदन	अना.	अजा	अजजा	अपिव
1	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग 'ख' एवं 'ग'	36	77093	19156	11451	16141	30345
2	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) ऑनलाईन परीक्षा 2019	39	8588	6932	431	365	860
3	छ.ग. लोक सेवा आयोग	छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत वाहन चालक, भृत्य, डाक रनर एवं फर्शिश परीक्षा 2018	09	3424	703	1710	780	231
4	छ.ग. शासन के विभिन्न विभाग	राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2018	273	4011	526	608	1367	1510
5	(आवास एवं पर्यावरण विभाग)	सहायक संचालक सर्वे ऑनलाईन परीक्षा-2018	03	612	207	104	89	212
6	(आवास एवं पर्यावरण विभाग)	सहायक संचालक प्लानिंग ऑनलाईन परीक्षा-2018	10	132	104	06	10	12
7	(योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)	सहायक संचालक ऑनलाईन परीक्षा-2019	10	1496	529	163	233	571
8	(आवास एवं पर्यावरण विभाग)	सहायक संचालक रिसर्च ऑनलाईन परीक्षा-2018	02	247	17	06	83	141
9	उच्च शिक्षा विभाग	ग्रंथपाल एवं क्रीड़ाधिकारी ऑनलाईन परीक्षा-2019	117	737	511	49	55	122
10	शासन के विभिन्न विभाग	राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2019	242	109360	27712	16105	23741	41802

अध्याय - सात

परीक्षा

आयोग द्वारा किसी पद विशेष की भरती की कार्यवाही के दौरान उम्मीदवारों की संख्या को ध्यान में रखकर 2 तरह से परीक्षा लिया जाता है। यदि उम्मीदवारों की संख्या अधिकतम 10000 तक है तथा प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, तो परीक्षा ऑनलाईन ली जाती है तथा यदि उम्मीदवारों की संख्या 10000 से ज्यादा है या प्रश्न विवरणात्मक स्वरूप का है तो ऑफलाईन परीक्षा ली जाती है। प्रतिवेदित अवधि में उपरोक्त दोनों पद्धति से आयोजित परीक्षाओं का विवरण इस प्रकार है : -

(1) ऑनलाईन परीक्षा : -

वर्ष 2019-20 में आयोजित ऑनलाईन परीक्षा का विवरण इस प्रकार है : -

स.क्र.	पद का नाम	रिक्त पद	आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	ऑन लाईन परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या
1	व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर)	39	8588	4681
2	सहायक संचालक सर्वे	3	612	346
3	सहायक संचालक प्लानिंग	10	132	75
4	सहायक संचालक	10	1496	833
5	सहायक संचालक रिसर्च	2	247	152
6	ग्रंथपाल एवं क्रीड़ाधिकारी	117	737	419

(2) ऑफलाईन परीक्षा : -

वर्ष 2019-20 में आयोजित ऑफलाईन/मैनुवल परीक्षाओं का विवरण इस प्रकार है-

स.क्र.	पद का नाम	रिक्त पद	आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	ऑफ लाईन परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या
1	मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग 'ख' एवं 'ग'	36	77093	56804
2	छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत वाहन चालक, भृत्य, डाक रनर एवं फर्माश परीक्षा 2018	9	3424	1852
3	राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2018	273	4011	3404
4	राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2019	242	109360	I) 91299 II) 90671

आयोग की वेबसाइट पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अंतिम चयनित अभ्यर्थियों एवं लिखित परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अंक एवं साक्षात्कार के अंक आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं।

अध्याय - आठ

अंतिम चयन

आयोग द्वारा 01.04.2019 से 31.03.2020 तक जारी चयन सूची एवं पदवार अनुशंसित

अभ्यर्थियों की संख्या की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	विज्ञापन क्रमांक	विभाग का नाम	पद का नाम	पद संख्या	चयन सूची जारी होने की तिथि	मुख्य सूची में चयनित आवेदकों की संख्या	चयनित आवेदकों की अनुशंसा हेतु पत्र शासन को भेजने की तिथि
1	विज्ञापन क्रमांक 08/2018/परीक्षा/दिनांक 05.10.2018 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 10/10/2018	जनसंपर्क विभाग	सहायक संचालक जनसंपर्क	10	12/06/2019	10	21/06/2019
2	विज्ञापन क्रमांक 09/2018/परीक्षा/दिनांक 24/12/2018 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 02.01.2019 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक 02/2019/परीक्षा/दिनांक 18.01.2019 तथा शुद्धि पत्र क्रमांक 05/2019/परीक्षा दिनांक 13.02.2019	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग- 'ख', मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग- 'ग'	36	11/07/2019	36	16/07/2019
3	विज्ञापन क्रमांक 07/2008/चयन/दिनांक 22/05/2008 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 28.05.2008	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी	1	विज्ञप्ति दिनांक 06.07.2019	निरंक	निरंक
4	विज्ञापन क्रमांक 06/2019/परीक्षा/दिनांक 08.03.2019 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 13.03.2019	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	व्याख्याता संहिता सिद्धान्त, व्याख्याता रचना शरीर, व्याख्याता क्रिया शरीर, व्याख्याता द्रव्यगुण,	17	31/07/2019	16	05/08/2019

			व्याख्याता रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, व्याख्याता स्वस्थ्यवृत्त, व्याख्याता अगदतंत्र एवं विधि आयुर्वेद, व्याख्याता प्रसुति एवं स्त्री रोग, व्याख्याता कौमारभृत्य, व्याख्याता शल्य तंत्र, व्याख्याता शालाक्य तंत्र, व्याख्याता पंचकर्म				
5	विज्ञापन क्रमांक 01/2018/परीक्षा/दिनांक 11/01/2018 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 17/01/2018	छ.ग. लोक सेवा आयोग कार्यालय हेतु	भृत्य	5	23/08/2019	5	26/08/2019
			डाक रनर	2	23/08/2019	2	
			फर्गश	1	23/08/2019	1	
6	विज्ञापन क्रमांक 10/2018/परीक्षा/दिनांक 28/12/2018 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 02.01.2019 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक 09/2019/परीक्षा/दिनांक 25.06.2019	आवास एवं पर्यावरण विभाग	सहायक संचालक, प्लानिंग, सहायक संचालक, सर्वे	13	12/12/2019	8	20/12/2019
7	विज्ञापन क्रमांक 04/2019/परीक्षा/दिनांक 13/02/2019 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 20.02.2019	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	सहायक संचालक	10	13/12/2019	10	20/12/2019

8	विज्ञापन क्रमांक 01/2018/परीक्षा/दिनांक 11/01/2018 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 17/01/2018	छ.ग. लोक सेवा आयोग कार्यालय हेतु	वाहन चालक	1	31/12/2019	1	04/01/2020
9	विज्ञापन क्र. 07/2018/परीक्षा/दिनांक 01/10/2018 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 10.10.2018, शुद्धि पत्र क्र. 01/2019/परीक्षा/दिनांक 17.01.2019, शुद्धि पत्र क्र. 03/2019/परीक्षा/दिनांक 30.01.2019, शुद्धि पत्र क्र. 06/2019/परीक्षा/दिनांक 15.02.2019 एवं शुद्धि पत्र क्र. 08/2019/परीक्षा/दिनांक 28.05.2019 राज्य सेवा परीक्षा-2018	छ.ग. शासन के विभिन्न 17 विभाग	राज्य सिविल सेवा उप जिलाध्यक्ष, राज्य पुलिस सेवा उप पुलिस अधीक्षक, छ.ग. राज्य वित्त सेवा लेखा अधिकारी, अधीक्षक जिला जेल, जिला सेनानी नगर सेना, वाणिज्यिक कर अधिकारी, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाये, रोजगार अधिकारी, सहायक संचालक बाल विकास परियोजना अधिकारी, छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, नायब तहसीलदार, वाणिज्यिक कर निरीक्षक, आबकारी उप निरीक्षक, उप पंजीयक, सहायक जेल अधीक्षक	273	01/02/2020	271	12/02/2020, 13/02/2020, 14/02/2020,
			योग	369		360	

(विवरण परिशिष्ट-तीन में प्रदर्शित)

अध्याय - नौ

आयोग के कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग

1. आयोग द्वारा विज्ञापित प्रत्येक पद हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाते हैं। हस्तलिखित आवेदन पत्र प्रणाली पूर्णतः बंद कर दी गई है।
2. आयोग के अधिकांश परीक्षा / चयन संबंधी कार्यों को कम्प्यूटरीकृत करने का प्रयास किया गया है।
3. विज्ञापनों में अभ्यर्थियों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदनों की वर्गवार एवं जिलेवार जानकारी के आधार पर परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण एवं बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।
4. आवेदित अभ्यर्थियों की संख्या दस हजार या उससे कम होती है, उन सभी परीक्षाओं को ऑनलाइन लिया जाता है।
5. आवेदित अभ्यर्थियों की संख्या दस हजार से अधिक अथवा परीक्षा विवरणात्मक होती है, उन परीक्षाओं को ऑफलाइन लिया जाता है। ऑफलाइन (मैन्युवल) परीक्षाओं हेतु ओ.एम.आर. उत्तरपुस्तिका एवं मुख्य परीक्षा हेतु ओ.एम.आर. प्रश्न सह— उत्तर पुस्तिका का प्रयोग किया जाता है।
6. प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित (ऑनलाइन/ऑफलाइन) परीक्षा के बाद आयोग द्वारा मॉडल उत्तर जारी कर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन दावा आपत्ति आमंत्रित की जाती है।
7. सॉफ्टवेयर के माध्यम से साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों हेतु साक्षात्कार बोर्ड का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाता है।
8. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से पदों की अग्रमान्यता ऑनलाइन प्राप्त की जाती है। अभ्यर्थियों को राज्य सेवा परीक्षा में अपने पदों की अग्रमान्यता ऑनलाइन भरने के पश्चात्, प्राप्त कम्प्यूटराईज्ड पावती को साक्षात्कार के समय जांच दल के समक्ष प्रस्तुत करना होता है।
9. कम्प्यूटराईज्ड अंक सूची की सुविधा अभ्यर्थियों को दी जाती है।

(विवरण परिशिष्ट-चार में दर्शित)


अध्याय - दस

भर्ती नियम सेवा नियम

वर्ष 2019-20 में नये भर्ती नियम बनाने/संशोधन किये जाने के संबंध में शासन के विभिन्न विभागों से कुल – 09 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से आयोग द्वारा 09 प्रकरणों में अभिमत/सहमति दी गई। पिछले दो वर्षों में भर्ती नियम बनाने/संशोधन के मामलों में आयोग द्वारा निराकृत प्रकरणों की तुलनात्मक स्थिति (आरेख 11.1) में दर्शायी गई है।

(विवरण परिशिष्ट-पाँच में दर्शित)

**विभागीय भर्ती नियम/ संशोधन के प्रस्तावों पर आयोग द्वारा
निराकृत प्रकरणों का तुलनात्मक विवरण**



आरेख 11.1


अध्याय - ग्यारह

पदोन्नतियों

वर्ष 2019-20 दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि में शासन के विभिन्न विभागों के विभिन्न रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की कुल 37 बैठकें आयोजित की गईं। उक्त बैठकों में कुल 658 अधिकारियों/कर्मचारियों के नामों पर पदोन्नति हेतु विचार किया गया तथा 351 अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति की अनुशंसा की गई (आरेख 12.1)।

कुल पदोन्नति


विचारित	658
अनुशंसित	351



आरेख 12.1

आयोग में आयोजित पदोन्नति समिति की बैठकों में प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी हेतु 50, द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी हेतु 126, द्वितीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी हेतु 35, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी हेतु 140 अधिकारियों की पदोन्नति की अनुशंसा की गई है। (आरेख 12.2)

अधिकारियों की संख्या	प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी	योग
विचारित	127	182	84	265	658
अनुशंसित	50	126	35	140	351



आरेख 12.2

माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित प्रकरण W.P. (PIL) No. 91/2019 (S) में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 09.12.2019 एवं दिनांक 08.01.2020 के परिपालन में वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही की जा रही है।

विभागीय पदोन्नति के प्रस्तावों के निराकरण में प्रतिवेदन अवधि में सुधार हुआ है एवं शासन के विभिन्न विभागों के सहयोग से अधिकांश प्रकरणों में समय-सीमा के अंतर्गत ही पदोन्नति समिति की बैठकें संपन्न हुई हैं। विभागीय पदोन्नति के लिये प्रपत्र एवं चेकलिस्ट निर्धारित है, किन्तु अनेक विभागों द्वारा चेक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव आयोग को नहीं भेजे जाने से समिति की बैठक आयोजित करने में विलंब होता है। विभागों द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से संबंधित आवश्यक अभिलेख, प्रमाण पत्र, वार्षिक गोपनीय चरित्रावलियों की उपलब्धता की जानकारी आदि आयोग को प्रस्ताव के साथ ही भेजे जाने चाहिये। पदोन्नति समिति की बैठकों के आयोजन में मुख्य बाधा वांछित गोपनीय प्रतिवेदनों की अनुपलब्धता, वरिष्ठता संबंधी विवादों/अभ्यावेदनों का निराकरण नहीं हो पाने से उत्पन्न होती हैं।

(पदवार पदोन्नति विवरण परिशिष्ट-छ: में दर्शित)


अध्याय - बारह

अनुशासनिक मामले

भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के तहत ऐसे मामलों के संबंध में, यदि कोई हो, जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति राज्य के विधानमण्डल के समक्ष रखा जाना है।

वर्ष 2019-20 के दौरान आयोग को भारत के संविधान के अनुच्छेद 320(3)(ग) के अंतर्गत प्राप्त हुए 91 प्रकरणों पर आयोग द्वारा विचारोपरांत अभिमत दिया गया। **(विवरण परिशिष्ट- सात में दर्शित)**

विगत दो वर्षों में अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों में आयोग द्वारा निराकृत प्रकरणों की तुलनात्मक स्थिति (आरेख 13.1) में दर्शायी गई है।



आरेख 13.1

अध्याय - तेरह

वित्त

वित्त:-

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर के वित्त प्रभाग के प्रमुख आयोग के सचिव होते हैं, जो राज्य शासन द्वारा पदस्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं तथा आयोग के वित्तीय मामलों के मुख्य नियंत्रण अधिकारी होते हैं। वित्त प्रभाग आयोग का बजट तैयार करने तथा वित्तीय मामले में व्यय नियंत्रण एवं निगरानी के संबंध में आयोग को परामर्श देने के लिए उत्तरदायी है। आयोग के बजट एवं वित्तीय सलाहकार के लिए वित्त विभाग से उप संचालक (वित्त) की पदस्थापना राज्य शासन द्वारा की गई है, जो वित्तीय पृष्ठभूमि वाले राज्य वित्त सेवा के अधिकारी होते हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान बजटीय स्थिति:-

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर एक संवैधानिक संस्था है, जिसके संविधान द्वारा कतिपय महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य शासन के अधीन राज्य प्रशासनिक स्तर के पदों पर नियुक्ति हेतु विभिन्न प्रतिष्ठित परीक्षाओं का संचालन शामिल है। राज्य लोक सेवा आयोग का व्यय राज्य की संचित निधि पर प्रभारित होता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु राशि 22,96,50,000=00 का बजट प्रावधान किया गया था, जो मुख्यतः आयोग द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन एवं स्थापना व्यय के लिए था। परीक्षाओं का संचालन पूर्व-निर्धारित समय-सारणी के अनुसार किया जाना होता है और इसलिए व्यय एक प्रतिबद्ध दायित्व है, जिसे स्थगित नहीं किया जा सकता। परीक्षा एवं चयन पर व्यय सीधे आयोग द्वारा आयोजित की जा रही विभिन्न परीक्षाओं एवं भर्ती प्रक्रियाओं के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करता है। उक्त बजट में से राशि 14,46,33,609=00 का व्यय हुआ तथा राशि 8,50,16,391=00 की बचत हुई। बचत मुख्यतः वेतन मदों में हुई, जिसका कारण रिक्त पदों का होना है। बचत राशि 8,50,16,391=00 का समर्पण किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में आयोजित परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थियों से प्राप्त शुल्क से कुल राशि 6,30,08,550=00 राजस्व प्राप्ति हुई। पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए प्रावधानों तथा निधि के उपयोग के संबंध में स्थिति तालिका-1 में एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राप्त राजस्व प्राप्ति की जानकारी तालिका-2 में दी गई है :-

तालिका - 1

(रु. लाखों में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त निधि	व्यय का प्रतिशत (%)
2019-20	22,96.50	14,46.33	8,50.16	62.98

तालिका - 2

वित्तीय वर्ष	राजस्व प्राप्ति	रिमार्क
2019-20	6,30,08,550=00	भारतीय स्टेट बैंक, मैन ब्रांच, रायपुर में विभिन्न चालानों के माध्यम से शासकीय कोष में राजस्व प्राप्ति की राशि को जमा किया गया।

(विवरण परिशिष्ट-आठ में दर्शित)

अध्याय - चौदह

न्यायालयीन प्रकरण

प्रतिवेदन अवधि में प्राप्त एवं निराकृत विधिक प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार रही :-

क्रमांक	विवरण	प्रकरणों की संख्या		
		मान. उच्च न्यायालय में	मान. उच्चतम न्यायालय में	योग
01	दिनांक 31.03.2019 तक लंबित प्रकरणों की संख्या	435	06	441
02	दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2020 तक दर्ज नवीन प्रकरणों की संख्या	150	02	152
03	दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2020 तक निराकृत प्रकरणों की संख्या	76	02	78
04	निराकृत प्रकरणों का विवरण—			
	(1) आयोग के पक्ष में	66	00	66
	(2) आयोग के विरुद्ध	10	02	12
05	दिनांक 31.03.2020 तक लंबित प्रकरणों की संख्या	509	06	515

अध्याय - पन्द्रह

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रकरणों के निराकरण की जानकारी

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जनसूचना अधिकारी (सामान्य), जनसूचना अधिकारी (परीक्षा) एवं अपीलीय अधिकारी की विशिष्टियां एवं उनको प्रतिवेदन अवधि में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की सांख्यिकीय जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	जनसूचना/अपीलीय अधिकारी	दूरभाष क्रमांक
1	श्रीमती आरती वासनिक	परीक्षा नियंत्रक	अपीलीय अधिकारी	0771-2331204
2	श्री आर. के. ध्रुव	अवर सचिव	जनसूचना अधिकारी (सामान्य)	0771-2331204
3	श्री राजेश कुमार साहू	उप परीक्षा नियंत्रक	जन सूचना अधिकारी (परीक्षा)	0771-2331204

सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त आवेदनों के निराकरण का विवरण :-

शाखा	विगत वर्ष के अंत में लंबित आवेदनों की संख्या	वर्ष में प्राप्त आवेदनों की संख्या	योग कॉलम (2+3)	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	कुल निराकृत आवेदनों की संख्या	वर्ष के अंत में शेष आवेदनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
जनसूचना अधिकारी (सामान्य)	—	32	32	22	10	32	—
जनसूचना अधिकारी (परीक्षा)	—	1192	1192	1187	05	1192	—
योग	—						—

प्रथम अपील अधिकारी के द्वारा निराकृत किये गये अपीलों का विवरण:-

विगत वर्ष के अंत में लंबित आवेदनों की संख्या	इस वर्ष में प्राप्त अपील प्रकरण की संख्या	योग	स्वीकृत अपीलों की संख्या	अस्वीकृत अपीलों की संख्या	कुल निराकृत अपील	वर्ष के अंत में शेष अपीलों की संख्या
15	65	80	5	72	77	3

वेबसाइट पर सूचना का अधिकार-2005 के अंतर्गत जानकारी देना-

1. आयोग तथा छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाइट पर सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत धारा 4 (1) (ख) के अंतर्गत 17 बिन्दुओं की जानकारी के स्व-सक्रिय प्रगटीकरण की व्यवस्था की गई है।
2. प्रत्येक माह परीक्षा अनुभाग, सामान्य अनुभाग एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या, पूर्व माह के लंबित आवेदनों की संख्या, उस माह में कुल निराकृत आवेदनों की संख्या तथा लंबित आवेदनों की संख्या का विवरण आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर जानकारी सार्वजनिक की जाती है।

अध्याय - सोलह


कृतज्ञता ज्ञापन

स्थापना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमानुसार संपूर्ण सूचिता के साथ किए गए कार्यों से ही किसी भी संस्थान की स्थापना का उद्देश्य सार्थक सिद्ध हो सकता है। संविधान के भाग 14 अध्याय 2 अनुच्छेद 315 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। समग्र राज्य हेतु लोक सेवकों के चयन एवं पदोन्नति के साथ-साथ राज्य के विभिन्न विभागों हेतु भर्ती नियमों का अनुमोदन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के संवैधानिक दायित्व हैं।

संविधान के अनुच्छेद 323 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है, कि प्रत्येक राज्य लोक सेवा आयोग किए गए कार्यों के बारे में प्रतिवर्ष राज्य के माननीय राज्यपाल को प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से लोक सेवा आयोग अपने साल भर के क्रिया कलापों तथा उपलब्धियों के साथ-साथ भावी कार्य योजनाओं को माननीय राज्यपाल तथा विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

वर्ष 2019-20 में आयोग द्वारा संपादित कार्यों का समग्र प्रस्तुतीकरण वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में तैयार कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

आयोग, छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रालयों और विभागों तथा अन्य संस्थानों द्वारा दिए गए बहुमूल्य सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता है। आयोग अपने अधिकारियों और स्टाफ के अन्य सदस्यों के कठोर परिश्रम और दक्षता के साथ कर्तव्यों का निर्वहन की भी हार्दिक सराहना करता है, जिसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में सफल रहा है।


(जीवन किशोर ध्रुव)
सचिव
छ.ग. लोक सेवा आयोग

दिनांक — 28/01/2021

परिशिष्ट - एक

आयोग के पदाधिकारियों का जीवन वृत्तान्त

श्री कृष्णाराम पिस्दा	अध्यक्ष
आयोग में पदभार ग्रहण करने की तिथि	17 / 01 / 2017
जन्मतिथि	02.06.1958
शिक्षा	एम0ए0 (अर्थशास्त्र), पी.एच.डी. (नक्सलवाद तथा आदिवासी क्षेत्र के आर्थिक स्थिति पर प्रभाव—दंतेवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में)
सेवा विवरण/पदस्थापना	<p>राज्य प्रशासनिक सेवा (1982 बैच):-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अनुविभागीय अधिकारी, छिंदवाड़ा, सौसर (जिला छिंदवाड़ा) होशंगाबाद, पिपरिया (जिला होशंगाबाद), खरसिया, घरघोड़ा (जिला रायगढ़) 2. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल (म.प्र.) 3. परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रायसेन (म.प्र.) 4. अपर कलेक्टर, छिंदवाड़ा (म.प्र.) 5. उपायुक्त (राजस्व), जबलपुर (म.प्र.) 6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़ (छ.ग.) <p>भारतीय प्रशासनिक सेवा (1996 बैच)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा 2. कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर 3. संचालक, महिला एवं बाल विकास छत्तीसगढ़ रायपुर 4. आयुक्त, लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़ रायपुर 5. मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़ रायपुर 6. मिशन संचालक, माध्यमिक शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़ रायपुर 7. आयुक्त, भू- अभिलेख छत्तीसगढ़ रायपुर 7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग 8. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग 9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जन शिकायत निवारण विभाग 10. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व आपदा प्रबंधन तथा पुर्नवास विभाग
शासकीय सेवा से सेवा निवृत्ति की तिथि	16 जनवरी 2017

श्री शिव नारायण पाण्डेय	: सदस्य
आयोग में पदभार ग्रहण करने की तिथि	: 05.12.2014
जन्म तिथि	: 01.01.1962
शिक्षा	: बी.एस.सी., एल.एल.बी.
सेवा विवरण / पदस्थापना	<ul style="list-style-type: none"> स्टेट बार कौंसिल ऑफ छ.ग. में दस वर्षों तक सदस्य। बार कौंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति का दो वर्ष सदस्य। विगत 28 वर्ष विधि सलाहकार अधिवक्ता। जिला सहकारी बैंक बस्तर जगदलपुर में 05 वर्षों तक उपाध्यक्ष के पद पर (वर्ष 2008 से 2012 तक)

श्री सुकृत लाल साव	सदस्य
आयोग में पदभार ग्रहण करने की तिथि	22 / 05 / 2017
जन्मतिथि	03 / 04 / 1960
शिक्षा	एम.एस.सी. (जन्तु विज्ञान)
	1 1982—84 वन क्षेत्रपाल, राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर (म.प्र)
	2 1984—86 राज्य वन सेवा प्रशिक्षण, राज्य वन सेवा महाविद्यालय, देहरादून
	3 1986—87 सहा.वन संरक्षक (परिवीक्षाधीन) कोण्डागांव वनमंडल कोण्डागांव बस्तर
	4 1987—92 उप प्रबंधन, कार्या. वनसंरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर
	5 1992—95 अनुविभागीय अधिकारी, रेहण्ड उप वनमंडल उत्तर सरगुजा वनमंडल अंबिकापुर, सरगुजा

	6	1995-03(i)	प्रभारी वनमंडलाधिकारी (भू-प्रबंध) राजनांदगांव वनमंडल, राजनांदगांव
		(ii)	प्रभारी आरेंज एरिया इकाई, राजनांदगांव
		(iii)	अनुविभागीय अधिकारी (उत्पा.) राजनांदगांव वनमंडल, राजनांदगांव
		(iv)	अनुविभागीय अधिकारी, मानपुर उप वनमंडल राजनांदगांव
	7.	2003-04	सहायक वन संरक्षक कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरण्य भवन रायपुर
	8.	2004-06	वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ वनमंडल रायगढ़
	9.	2006-08	वनमंडलाधिकारी, बस्तर वनमंडल जगदलपुर
	10.	2008-09	उप महाप्रबंधक, कार्या. प्रबंध संचालक छ.ग.रा.लघु वनोपज संघ रायपुर
	11.	2009-11	वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़
	12.	2011-14	उप वनसंरक्षक कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. रायपुर
	13.	2014-16	वन संरक्षक, कार्या. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, छ.ग. रायपुर
	14.	2016-17	मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. रायपुर
विदेश यात्रा	1.	2015	फिनलैंड
	2.	2015	एस्टोनिया
	3.	2015	रूस
शा. सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की तिथि	16 मई 2017		

डॉ. मोतीलाल बाचकर	: सदस्य
आयोग में पदभार ग्रहण करने की तिथि	: 05 / 10 / 2017
जन्मतिथि	: 02 / 01 / 1961
शिक्षा	: एम.बी.बी.एस, एम.डी मेडिसीन
सेवा विवरण/ पदस्थापना	<ul style="list-style-type: none"> • खण्ड चिकित्सा अधिकारी 1990 से 2001 तक • सामु. स्वा. केन्द्र मानपुर में वर्ष 1990 से 1994 तक खण्ड चिकित्सा अधिकारी • सामु. स्वा. केन्द्र बोडला में वर्ष 1994 से 2001 तक खण्ड चिकित्सा अधिकारी • सामु. स्वा. केन्द्र पंडरिया में वर्ष 2001 से 2007 तक (मेडिकल ऑफिसर) • मेडिकल स्पेशलिस्ट • सामु. स्वा. केन्द्र पंडरिया में वर्ष 2007 से 2014 तक मेडिकल स्पेशलिस्ट • जिला चिकित्सालय कवर्धा में वर्ष 2014 से 2017 तक मेडिकल स्पेशलिस्ट • सिविल सर्जन एवं सह अस्पताल अधीक्षक सितम्बर 2017 से 04 अक्टूबर 2017 तक
शा.सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की तिथि	04 अक्टूबर 2017

परिशिष्ट - दो
आयोग में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी
 (दिनांक 31.03.2020 की स्थिति में)

क्र.	पद का नाम	वेतन बेण्ड	ग्रेड - पे	लेवल	पद संख्या		
					स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	माननीय अध्यक्ष	80,000	-	Level-17 (Center Govt.)	1	1	-
2.	माननीय सदस्य	67,000-79000	-	Level-15 (Center Govt.)	4	3	1
3.	सचिव	37,400-67,000	8,700	Level-13 (Center Govt.)	1	1	-
4.	विधिक सलाहकार	70,290-1,540-76,450	-	-	1	1	-
5.	उप सचिव भा.प्र.से / रा.प्र.से	15,600-39,100	7,600	Level-12 (Center Govt.) /Level-14(State Govt.)	1	-	1
6.	परीक्षा नियंत्रक	15,600-39,100	6,600	Level-13	1	1	-
7.	सीनियर मैनेजर इन्फर्मेशन सिस्टम (आउटसोर्सिंग / संविदा)	37400-67000	8700	Level-15	1	-	1
8.	मैनेजर इन्फर्मेशन सिस्टम (आउटसोर्सिंग / संविदा)	15600-39100	7600	Level-14	1	-	1
9.	अवर सचिव	15,600-39,100	6,600	Level-13	2	2	-
10.	उप संचालक (वित्त)	15,600-39,100	6,600	Level-13	1	1	-
11.	स्टॉफ ऑफिसर	15,600-39,100	6,600	Level-13	1	1	-
12.	वरिष्ठ प्रोग्रामर (आउटसोर्सिंग / संविदा)	15,600-39,100	6,600	Level-13	2	-	2
13.	अपर परीक्षा नियंत्रक	15,600-39,100	5,400	Level-12	1	-	1
14.	विधि अधिकारी	15,600-39,100	5,400	Level-12	1	-	1
15.	प्रोग्रामर	15,600-39,100	5,400	Level-12	2	2	-

16.	सांख्यिकी अधिकारी	15,600-39,100	5,400	Level-12	1	-	1
17.	उप परीक्षा नियंत्रक	9,300-34,800	4,400	Level-10	1	1	-
18.	अनुभाग अधिकारी	9,300-34,800	4,800	Level-11	7	4	3
19.	निज सचिव	9,300-34,800	4,800	Level-11	2	1	1
20.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	9,300-34,800	4,300	Level-09	1	1	-
21.	सहायक प्रोग्रामर	9,300-34,800	4,300	Level-09	1	1	-
22.	सहायक प्रोग्रामर (संविदा)	9,300-34,800	4,300	Level-09	2	-	2
23.	शीघ्रलेखक / निजसहायक	9,300-34,800	4,300	Level-09	3	1	2
24.	सहायक ग्रेड-1	9,300-34,800	4,300	Level-09	16	8	8
25.	ग्रंथपाल	9,300-34,800	4,200	Level-08	1	1	-
26.	स्टोर कीपर	9,300-34,800	4,200	Level-08	1	1	-
27.	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	5,200-20,200	2,800	Level-07	5	3	2
28.	सहायक ग्रेड-2	5,200-20,200	2,400	Level-06	16	16	-
29.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	5,200-20,200	2,400	Level-06	4	4	-
30.	स्टेनोटाइपिस्ट	5,200-20,200	1,900	Level-04	3	-	3
31.	सहायक ग्रेड-3	5,200-20,200	1,900	Level-04	32	3	29
32.	वाहन चालक	5,200-20,200	1,900	Level-04	8	6	2
33.	वाहन चालक	5,200-20,200	1,900	Level-04	2	2*	-
34.	दफ्तरी	4,750-7,440	1,400	Level-02	3	3	-
35.	जमादार	4,750-7,440	1,400	Level-02	1	1	-
36.	डाक रनर	4,750-7,440	1,300	Level-01	2	2	-
37.	भृत्य	4,750-7,440	1,300	Level-01	16	13	3
38.	फर्राश	4,750-7,440	1,300	Level-01	2	2	-
39.	वाहन चालक (कलेक्टरदर)	-	-	-	1	1	-
40.	भृत्य (कलेक्टर दर)	-	-	-	8	8	-
41.	माली (कलेक्टर दर)	-	-	-	2	1	1
42.	सफाई कर्मचारी(कलेक्टर दर)	-	-	-	2	2	-
	योग				164	99	65

परिशिष्ट - तीन
अंतिम चयन

आयोग द्वारा 01.04.2019 से 31.03.2020 तक जारी चयन एवं पदवार
अनुशंसित अभ्यर्थियों की संख्या की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	विज्ञापन क्रमांक	विभाग का नाम	पद का नाम	पद संख्या	चयन सूची जारी होने की तिथि	मुख्य सूची में चयनित आवेदकों की संख्या	चयनित आवेदकों की अनुशंसा हेतु पत्र शासन को भेजने की तिथि
1	2	3	4	5	6	8	9
1	विज्ञापन क्रमांक 08/2018/परीक्षा / दिनांक 05.10.2018 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 10/10/2018	जनसंपर्क विभाग	सहायक संचालक जनसंपर्क	10	12/06/2019	10	21/06/2019
2	विज्ञापन क्रमांक 09/2018/परीक्षा / दिनांक 24/12/2018 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 02.01.2019 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक 02/2019/परीक्षा / दिनांक 18.01.2019 तथा शुद्धि पत्र क्रमांक 05/2019/परीक्षा दिनांक 13.02.2019	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग-‘ख’	8	11/07/2019	8	16/07/2019
			मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग-‘ग’	28		28	
3	विज्ञापन क्रमांक 07/2008/चयन / दिनांक 22/05/2008 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 28/05/2008	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी	1	विज्ञप्ति दिनांक 06.07.2019	निरंक	निरंक

4	विज्ञापन क्रमांक 06/2019/परीक्षा /दिनांक 08.03. 2019 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 13.03.2019	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	व्याख्याता, संहिता सिद्धान्त	2	31/07/2019	2	05/08/2019
			व्याख्याता, रचना शरीर	1		1	
			व्याख्याता, क्रिया शरीर	1		1	
			व्याख्याता, द्रव्यगुण	2		2	
			व्याख्याता, रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना	1		1	
			व्याख्याता, स्वस्थवृत्त	1		1	
			व्याख्याता, अगदतंत्र एवं विधि आयुर्वेद	1		1	
			व्याख्याता, प्रसुति एवं स्त्री रोग	2		1	
			व्याख्याता, कौमारभृत्य	2		2	
			व्याख्याता, शल्य तंत्र	2		2	
			व्याख्याता, शालाक्य तंत्र	1		1	
			व्याख्याता, पंचकर्म	1		1	
5	विज्ञापन क्रमांक 01/2018/परीक्षा /दिनांक 11/01/2018 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 17/01/2018	छ.ग. लोक सेवा आयोग कार्यालय हेतु	भृत्य	5	23/08/2019	5	26/08/2019
			डाक रनर	2	23/08/2019	2	
			फर्राश	1	23/08/2019	1	

6	विज्ञापन क्रमांक 10/2018/परीक्षा /दिनांक 28/12/2018 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 02.01.2019 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक 09/2019/परीक्षा /दिनांक 25.06. 2019	आवास एवं पर्यावरण विभाग	सहायक संचालक, प्लानिंग	10	12/12/2019	5	20/12/2019
			सहायक संचालक, सर्वे	3	12/12/2019	3	20/12/2019
7	विज्ञापन क्रमांक 04/2019/परीक्षा /दिनांक 13/02/2019 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 20.02.2019	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	सहायक संचालक	10	13/12/2019	10	20/12/2019
8	विज्ञापन क्रमांक 01/2018/परीक्षा /दिनांक 11/01/2018 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 17/01/2018	छ.ग. लोक सेवा आयोग कार्यालय हेतु	वाहन चालक	1	31/12/2019	1	04/01/2020
9	विज्ञापन क्र. 07/2018/परीक्षा /दिनांक 01/10/2018 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 10.10.2018, शुद्धि पत्र क्र. 01/2019/परीक्षा /दिनांक 17.01. 2019, शुद्धि पत्र क्र. 03/2019/परीक्षा /दिनांक 30.01. 2019, शुद्धि पत्र क्र. 06/2019/परीक्षा /दिनांक 15.02. 2019 एवं शुद्धि	सामान्य प्रशासन विभाग	राज्य सिविल सेवा उप जिलाध्यक्ष	3	01/02/2020	3	12/02/2020
		गृह (पुलिस) विभाग	राज्य पुलिस सेवा उप पुलिस अधीक्षक	9		9	12/02/2020
		वित्त एवं योजना विभाग	छ.ग. राज्य वित्त सेवा लेखा अधिकारी	12		12	13/02/2020
		गृह (जेल) विभाग	अधीक्षक जिला जेल	3		3	13/02/2020
		गृह विभाग	जिला सेनानी, नगर सेना	1		1	13/02/2020
		वाणिज्यिक कर विभाग	वाणिज्यिक कर अधिकारी	7		7	13/02/2020
		सहकारिता विभाग	सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाये	2		2	13/02/2020

	पत्र क्र. 08/2019/ परीक्षा/दिनांक 28.05.2019 राज्य सेवा परीक्षा-2018						
		जनशक्ति नियोजन विभाग	रोजगार अधिकारी	4		4	13/02/2020
		पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सहायक संचालक	27		27	13/02/2020
		महिला एवं बाल विकास विभाग	बाल विकास परियोजना अधिकारी	15		15	13/02/2020
		वित्त एवं योजना विभाग	छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा	42		42	13/02/2020
		राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख	19		19	13/02/2020
		राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	नायब तहसीलदार	30		30	13/02/2020
		वाणिज्यिक कर विभाग	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	40		39	14/02/2020
		वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग	आबकारी उप निरीक्षक	40		39	14/02/2020
		वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग	उप पंजीयक	5		5	14/02/2020
		गृह (जेल) विभाग	सहायक जेल अधीक्षक	14		14	14/02/2020
		योग		369		360	

परिशिष्ट - चार

सूचना-प्रौद्योगिकी

01.04.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के लिए

ऑनलाइन आवेदनों का आयोग की वेबसाइट पर प्रगटीकरण-

इस अवधि में सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापनों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी शीर्ष से परिशिष्ट तैयार करने के साथ-साथ निम्न विज्ञापनों का आयोग की वेबसाइट पर प्रगटीकरण किया गया-

- ✓ राज्य सेवा परीक्षा-2019
- ✓ राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-2019
- ✓ व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2020
- ✓ सहायक भू-जल विद्, सहायक भू-भौतिक विद्, सहायक भू-रसायन विद्-2020
- ✓ पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ-2020
- ✓ बीमा चिकित्सा अधिकारी-2020

संवीक्षा अनुभाग को ऑनलाइन आवेदन संबंधी रिपोर्ट उपलब्ध कराना-

उपरोक्त विज्ञापनों में अभ्यर्थियों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदनों की वर्गवार जानकारी एवं परीक्षा जिलेवार जानकारी संवीक्षा अनुभाग को उपलब्ध कराई गई। संवीक्षा अनुभाग इन्हीं आंकड़ों के आधार पर परीक्षा केन्द्रों की संख्या का निर्धारण एवं बैठक व्यवस्था की तैयारी करता है।

प्रवेश पत्रों की डिजाइन एवं आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों हेतु प्रवेश पत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना-

निम्न परीक्षाओं हेतु प्रवेश पत्रों की डिजाइनिंग की गई एवं अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा दिवस के 10 दिन पूर्व आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए-

- ✓ मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग 'ख' एवं 'ग' परीक्षा-2018 (5 मई 2019)
- ✓ व्यवहार न्यायाधीश-2019 (7 मई 2019)
- ✓ छ.ग. लोक सेवा आयोग हेतु भृत्य, वाहन चालक, डाक रनर एवं फर्लाश हेतु परीक्षा-2018 (26 मई 2019)
- ✓ राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-2018 (23, 24, 25 एवं 26 जुलाई 2019)
- ✓ सहायक संचालक, सर्वे परीक्षा-2018 (29 जुलाई 2019)
- ✓ सहायक संचालक, योजना परीक्षा-2018 (30 जुलाई 2019)
- ✓ सहायक संचालक (योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी) परीक्षा-2019 (1 अगस्त 2019)

- ✓ सहायक संचालक, रिसर्च परीक्षा—2018 (27 अगस्त 2019)
- ✓ ग्रंथपाल एवं क्रीडाधिकारी परीक्षा—(26 नवम्बर 2019)
- ✓ राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा—2019 (09 फरवरी 2020)

ऑनलाईन परीक्षा-

उपरोक्त अवधि में सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग की देख-रेख में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा निम्न ऑनलाईन परीक्षाएं आयोजित की गईं—

1. व्यवहार न्यायाधीश—2019 (7 मई 2019)
2. सहायक संचालक, सर्वे परीक्षा—2018 (29 जुलाई 2019)
3. सहायक संचालक, योजना परीक्षा—2018 (30 जुलाई 2019)
4. सहायक संचालक (योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी) परीक्षा—2019 (1 अगस्त 2019)
5. सहायक संचालक, रिसर्च परीक्षा—2018 (27 अगस्त 2019)
6. ग्रंथपाल एवं क्रीडाधिकारी परीक्षा—(26 नवम्बर 2019)

ओ.एम.आर. उपस्थिति पत्रक- आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली ऑफलाइन परीक्षाओं में ओ.एम.आर. उपस्थिति पत्रक का प्रयोग किया जाता है। ओ.एम.आर. उपस्थिति पत्रक के प्रयोग द्वारा परीक्षा केन्द्रों में अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति मिलान के कार्य में समय, श्रम की बचत के साथ-साथ अनुपस्थिति मिलान की प्रमाणिकता में वृद्धि होती है। ओ.एम. आर. उपस्थिति पत्रक का प्रयोग निम्न परीक्षा में किया गया —

- ✓ राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा—2018 (23, 24, 25 एवं 26 जुलाई 2019)
- ✓ राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा—2019 (9 फरवरी 2020)

मॉडल उत्तर एवं ऑनलाईन आपत्ति- परीक्षा गोपनीय अनुभाग द्वारा जारी किए जाने वाले मॉडल उत्तर को आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध करा कर मॉडल उत्तर के संबंध में आपत्तियां ऑनलाईन दर्ज करने हेतु ऑनलाईन आपत्ति दर्ज करने संबंधी निर्देश शीर्ष से परिशिष्ट तैयार कर सूचना प्रकाशित की जाती है। ऑनलाईन आपत्ति के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त हुए आपत्तियों को विषय विशेषज्ञों से आपत्ति के निवारण हेतु प्रश्नवार जानकारी तैयार कर परीक्षा गोपनीय को उपलब्ध कराया जाता है। परीक्षाओं के नाम निम्न हैं जिनमें ऑनलाईन आपत्ति का प्रयोग किया गया—

- ✓ मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग 'ख' एवं 'ग' परीक्षा—2018 (5 मई 2019)
- ✓ व्यवहार न्यायाधीश—2019 (7 मई 2019)
- ✓ छ.ग. लोक सेवा आयोग हेतु भृत्य, वाहन चालक, डाक रनर एवं फर्राश हेतु परीक्षा—2018 (26 मई 2019)

- ✓ सहायक संचालक, सर्वे परीक्षा—2018 (29 जुलाई 2019)
- ✓ सहायक संचालक, योजना परीक्षा—2018 (30 जुलाई 2019)
- ✓ सहायक संचालक (योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी) परीक्षा—2019 (1 अगस्त 2019)
- ✓ सहायक संचालक, रिसर्च परीक्षा—2018 (27 अगस्त 2019)
- ✓ ग्रंथपाल एवं क्रीडाधिकारी परीक्षा—(26 नवम्बर 2019)

लिखित परीक्षा परिणाम तैयार करना-

इस अवधि में निम्न मुख्य (ऑफलाइन) परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों का चिन्हांकन सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा किया गया—

1. राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा—2018 (19 फरवरी 2019)
2. राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा—2018 (23, 24, 25 एवं 26 जुलाई 2019)

उपरोक्त के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा निम्न ऑनलाइन परीक्षाओं के परिणाम ऑनलाइन परीक्षा हेतु अनुबंधित फर्म द्वारा प्रदान मेरिट सूची के आधार पर तैयार किए गए—

1. सहायक संचालक, जनसम्पर्क परीक्षा—2018
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग 'ख' एवं 'ग' परीक्षा—2018
3. व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा—2019
4. भृत्य, डाक रनर, वाहन चालक, फर्राश (छ.ग. लोक सेवा आयोग)—2018
5. सहायक संचालक योजना—2018
6. सहायक संचालक सर्वे—2018
7. सहायक संचालक (योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी)—2019
8. ग्रंथपाल (उच्च शिक्षा विभाग)—2019
9. क्रीडाधिकारी (उच्च शिक्षा विभाग)—2019

राज्य सेवा परीक्षा हेतु ऑनलाइन अग्रमान्यता अंकित कराना -

ऑनलाइन अग्रमान्यता में अभ्यर्थियों को राज्य सेवा परीक्षा में अपने पदों की अग्रमान्यता ऑनलाइन भरने के बाद प्राप्त कम्प्यूटराईज्ड पावती को साक्षात्कार के समय जांच दल के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। ऑनलाइन अग्रमान्यता का प्रयोग **राज्य सेवा परीक्षा** में किया जाता है।

साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न 4 दस्तावेज आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराना-

अभ्यर्थियों को साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न चार दस्तावेज (1) जानकारी पत्रक (01 प्रति में), (2) अनुप्रमाणन—पत्र (03 प्रति में) (3) उपस्थिति पत्रक (01 प्रति में) तथा (4) व्यक्तिगत विवरण (06 प्रतियों में)

डाऊनलोड कर आवश्यक प्रविष्टियां कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होता है। उक्त प्रक्रिया से अभ्यर्थियों को भेजे जाने वाले साक्षात्कार बुलावा पत्रक एवं अन्य प्रपत्र से डाक व्यय एवं समय की क्षति होती, जिसे इन प्रपत्रों को ऑनलाइन उपलब्ध कराकर बचाया जा सका।

हार्ड कॉपी एवं लॉटरी-

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में आवेदन हार्ड कॉपी में न होने के कारण साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए डाटा के आधार पर मास्टर डाटा पेज तैयार कर चयन अनुभाग को उपलब्ध कराए गए। जिनका प्रयोग साक्षात्कार के दौरान मूल दस्तावेजों के परीक्षण हेतु किया गया। इसके आलावा उपरोक्त परीक्षाओं में साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की लॉटरी के आधार पर उपस्थिति पत्रक एवं साक्षात्कार-अंक सूची का फारमेट सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा तैयार किए सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है।

साक्षात्कार उपरांत अंतिम चयन परिणाम तैयार करना-

उपरोक्त अवधि में निम्न परीक्षाओं हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा साक्षात्कार उपरांत अंतिम चयन परिणाम तैयार किए गए-

1. सहायक संचालक, जनसम्पर्क-2018
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग 'ख' एवं 'ग' -2018
3. व्याख्याता (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)-2019
4. भृत्य, डाक रनर एवं फर्राश (छ.ग. लोक सेवा आयोग) -2018
5. सहायक संचालक, सर्वे -2018
6. सहायक संचालक, योजना-2018
7. सहायक संचालक (योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी)-2019
8. वाहन चालक (छ.ग. लोक सेवा आयोग) -2018
9. राज्य सेवा परीक्षा-2018

परिशिष्ट - पांच
विभागीय भर्ती नियम में आयोग का अभिमत दिये जाने का विवरण
दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक

स. क्र.	विभाग का नाम	विषय	अभिमत/सहमति देने का दिनांक
1	3	4	6
01	वाणिज्यिक कर विभाग	छत्तीसगढ़ राजपत्रित (वाणिज्यिक कर) सेवा भर्ती नियम 1966 में संशोधन के संबंध में।	क्रमांक 544 / 148 / 2014 / जीएस दिनांक 25.07.2019
02	वन विभाग	छ.ग. वन (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2015 के नियम 11(11) एवं छ.ग. वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा नियम 2014 के नियम 03 (क) में संशोधन बाबत।	क्रमांक 823 / 10 / 2015 / जीएस दिनांक 20.09.2019
03	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	छ.ग. औद्योगिक प्रशिक्षण (राजपत्रित) सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2017 में संशोधन।	क्रमांक 1054 / 19 / 2017 / जीएस दिनांक 25.10.2019
04	ऊर्जा विभाग	छ.ग. विद्युत निरीक्षकालय (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2008 में संशोधन बाबत।	क्रमांक 1158 / 129 / 2008 / जीएस दिनांक 19.11.2019
05	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	Regarding amendments in the Chhattisgarh Higher & Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules 2006.	क्रमांक 1194 / 81 / 2013 / जीएस दिनांक 23.11.2019
06	उच्च शिक्षा विभाग	छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा, राजपत्रित) भर्ती नियम 2019 में संशोधन।	क्रमांक 1311 / 185 / 2018 / जीएस दिनांक 06.12.2019
07	श्रम विभाग	छ.ग. श्रम न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2015 में संशोधन किये जाने बाबत।	क्रमांक 1384 / 62 / 2015 / जीएस दिनांक 17.12.2019
08	पशुधन विकास विभाग	पशुधन एवं डेयरी विभाग के डेयरी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम तैयार करने बाबत।	क्रमांक 1786 / 31 / 2011 / जीएस दिनांक 13.02.2020
09	गृह जेल विभाग	छ.ग जेल (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2005 में संशोधन।	क्रमांक 1909 / 164 / 2017 / जीएस दिनांक 06.03.2020

परिशिष्ट - छः
विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजित बैठकों का विवरण
(दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक)

स.क.	विभागवार पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	विचारक्षेत्र में लिये गये अधिकारियों की संख्या	अनुशंसित अधिकारियों की संख्या
1	2	3	4	5
	जल संसाधन विभाग			
1	माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में डब्ल्यू. पी.एस. 797/2005 में पारित आदेश दिनांक 03.01.2017 के परिपालन में सहायक अभियंता (सिविल) से कार्यपालन अभियंता (सिविल) के पद पर पुनरीक्षित बैठक।	1	1	1
2	माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 6742/2010 एवं अवमानना प्रकरण क्रमांक 350/2019 में पारित आदेश दिनांक 24.07.2019 के परिपालन में दिनांक 09.06.2008 को स्नातक उप अभियंता (सिविल) से सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति।	1	1	0
3	मान0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक आर.ई.व्ही.पी. 28/2019 में पारित आदेश दिनांक 17.09.2019 के परिपालन में दिनांक 07.09.2007 को डिग्रीधारी उपअभियंता (वि./यां.) से सहायक अभियंता (वि./यां.) के पद पर सम्पन्न पदोन्नति बैठक के अनुक्रम में बैठक	1	1	0
	खनिज साधन विभाग			
1	संयुक्त संचालक (भौमिकी) तथा संयुक्त संचालक (खनिज प्रशासन) के पद पर से अपर संचालक के पद पर पदोन्नति।	1	4	1
	वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग			
1	सहायक जिला आबकारी अधिकारी से जिला आबकारी अधिकारी के पद पर पदोन्नति।	7	31	7
2	सहायक आयुक्त आबकारी से उपायुक्त आबकारी के पद पर पदोन्नति।	1	5	1

सहकारिता विभाग				
1	अधीक्षक से प्रशासकीय अधिकारी के पद पर पदोन्नति।	1	3	1
2	संयुक्त पंजीयक से अपर पंजीयक के पद पर पदोन्नति।	2	8	2
3	उप पंजीयक से संयुक्त पंजीयक के पद पर पदोन्नति।	6	16	6
4	सहायक पंजीयक से उप पंजीयक के पद पर पदोन्नति।	7	5	3
5	अंकेशन अधिकारी से सहायक पंजीयक के पद पर पदोन्नति।	8	7	7
6	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक से अंकेशन अधिकारी के पद पर पदोन्नति।	23	51	23
आवास एवं पर्यावरण विभाग				
1	सहायक संचालक (सर्वे) से उप संचालक (सर्वे) के पद पर पदोन्नति।	1	1	1
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग				
1	सहायक संचालक उद्यान से उप संचालक उद्यान के पद पर पदोन्नति।	2	5	2
वाणिज्यिक कर विभाग				
1	राज्य कर संयुक्त आयुक्त से राज्य कर अपर आयुक्त के पद पर पदोन्नति।	2	8	2
2	राज्य कर उपायुक्त से राज्य कर संयुक्त आयुक्त के पद पर पदोन्नति।	7	17	7
3	राज्य कर सहायक आयुक्त से राज्य कर उपायुक्त के पद पर पदोन्नति।	16	12	10
वन विभाग				
1	वनक्षेत्रपाल से सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति।	20	42	20
2	उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति।	55	47	44
3	अधीक्षक से प्रशासकीय अधिकारी के पद पर पदोन्नति।	2	10	2
23	अधीक्षक से लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति।	3	10	3
33	उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पुनरीक्षित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक।	60	129	60

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग				
1	वरिष्ठ निरीक्षक वाष्पयंत्र से उप मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र के पद पर पदोन्नति।	1	2	1
2	संयुक्त संचालक/मुख्य महाप्रबंधक से अपर संचालक उद्योग के पद पर पदोन्नति।	2	9	2
3	उप संचालक/महाप्रबंधक से संयुक्त संचालक/मुख्य महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नति।	4	12	4
4	सहायक संचालक/प्रबंधक से उप संचालक/महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नति।	7	12	7
5	सहायक प्रबंधक से सहायक संचालक/प्रबंधक के पद पर पदोन्नति।	6	2	2
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग				
1	अवमानना प्रकरण क्रमांक 627/2016 श्री जी. एल. साहू विरुद्ध श्री एन. के. असवाल के संबंध में शीघ्रलेखक वर्ग 01 से सहायक संचालक के पद पर पदोन्नति।	10	4	1
2	उप यंत्री से सहायक यंत्री के पद पर पदोन्नति।	4	6	4
3	सहायक आयुक्त एवं समकक्ष पद से उपायुक्त एवं समकक्ष पद पर पुनरीक्षित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक।	12	24	9
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग				
1	माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 395/2018 में पारित आदेश दिनांक 01/05/2018 के पालन में चिकित्सा अधिकारी पद से स्त्रीरोग विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति।	115	53	39
2	माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 501/2008 में दिनांक 11.04.2017 पारित आदेश के पालन में चिकित्सा अधिकारी पद से मेडिसीन विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति।	110	58	53
पशुधन विकास विभाग				
1	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ से उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें के पद पर पदोन्नति।	4	22	4
चिकित्सा शिक्षा विभाग				
1	सह प्राध्यापक से प्राध्यापक रेडियोथेरेपी (अंको सर्जरी) विभाग के पद पर पदोन्नति।	1	1	1

	संस्कृति विभाग			
1	अवमानना प्रकरण क्रमांक 91/2019 में पारित आदेश दिनांक 23.01.2020 के पालन में उप अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति।	1	5	1
	कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग			
1	माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक 393/2018 में पारित आदेश दिनांक 13.04.2018 के परिपालन में प्राचार्य वर्ग-02 से प्राचार्य वर्ग-01/उप संचालक के पद पर पदोन्नति।	6	13	6
	लोक निर्माण विभाग			
1	कार्यपालन अभियंता (सिविल) से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति वर्ष 2007.	15	21	14
योग		525	658	351

परिशिष्ट - सात

विभागीय जांच/अनुशासनिक कार्यवाही/अपील प्रकरणों का विवरण (दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक)

स. क्र.	नस्ती क्रमांक	आयोग में प्राप्ति दिनांक	विभाग का नाम	विषय	प्रस्तावित दण्ड जिसमें आयोग की सहमति/असहमति/परामर्श दिया गया है।	आयोग का अभिमत दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
01	207/2018/GS	13/03/2019	सहकारिता विभाग	सेवा सहकारी समितियों के चुनाव में भ्रष्टाचार करने के संबंध में श्री जॉन खलखो उप पंजीयक के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में उनके विरुद्ध अधिरोपित दण्ड पर सहमति बाबत् ।	प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री जॉन खलखो उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग द्वारा सहकारी समितियों के चुनाव कार्य में किये गये वित्तीय अनियमितताओं एवं कार्य के प्रति लापरवाही किये जाने के कारण छ. ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के तहत 02 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई।	06/04/2019
02	206/2018/GS	12/03/2019	सहकारिता विभाग	श्री टी. आर. साहू सहायक पंजीयक कांकर द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से कार्यमुक्त होने के कारण उनके विरुद्ध अधिरोपित दण्ड पर सहमति बाबत् ।	प्रकरण के समग्र रूप से परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री टी. आर. साहू सहायक पंजीयक/प्रभारी उप पंजीयक द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से कार्यमुक्त होने के कारण कार्य के प्रति किये गये स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ. ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(चार) के तहत 01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु लिये गये अंतिम प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	01/04/2019
03	208/2018/GS	20/03/2019	गृह जेल विभाग	रिट पिटिशन (सी) क्रमांक डब्ल्यू पी.ओ.-2022/09, दिलसाय आ. बुधराम विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन में पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में श्री राजेन्द्र कुमार गायकवाड़, जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल जगदलपुर के विरुद्ध विभागीय जांच बाबत् ।	प्रकरण के समग्र रूप से परीक्षणोपरांत अपचारी अधि कारी श्री राजेन्द्र कुमार गायकवाड़, जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल अंबिकापुर द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही बरते जाने, जेल नियमों का उल्लंघन किये जाने एवं छ. ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ. ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(पांच) के तहत 02 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	05/04/2019

04	39/2018/GS	02/05/2018	वन विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही – श्री एस.के.दीक्षित, से.नि. सहायक वन संरक्षक (31.07.2006), तत्कालीन प्रभारी अधिकारी, नारंगी क्षेत्र, रायपुर।	प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि श्री एस. के. दीक्षित द्वारा मुनारा निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने के कारण शासन को हुई हानि रुपये 3,99,600/— में से रुपये 1,33,200/— (3,99,600/3) की वसूली छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में निहित प्रावधान के तहत लिये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	08/04/2019
05	209/2018/GS	26/03/2019	वन विभाग	श्री डी. के. सिंह, सहायक वन संरक्षक तत्कालीन प्रभारी नारंगी क्षेत्र ईकाई बिलासपुर एवं उप वनमंडलाधिकारी पेण्ड्रा मरवाही वनमंडल के विरुद्ध प्रचलित विभागीय जांच।	प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि श्री डी . के. सिंह से.नि. सहायक वन संरक्षक तत्कालीन प्रभारी अधिकारी नारंगी क्षेत्र सर्वेक्षण ईकाई बिलासपुर एवं उप वनमंडलाधिकारी पेण्ड्रा द्वारा वित्तीय अनियमितता किये जाने के फलस्वरूप शासन को हुई आर्थिक हानि रुपये 1,91,500/— तथा उक्त राशि पर दिनांक 01.04.2006 से आदेश दिनांक तक 9 प्रतिशत ब्याज की वसूली छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 9 में निहित प्रावधान अंतर्गत किये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई।	16/04/2019
06	01/2019/GS	02/04/2019	स्कूल शिक्षा विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत— श्री व्ही.के.सिदार, प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कचंदा, शैक्षणिक जिला सक्ती।	प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत अपचारी अधिकारी श्री व्ही.के.सिदार, प्राचार्य, शासकीय उ.मा. विद्यालय, कचंदा जिला सक्ती के द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही बरतने एवं वित्तीय अनियमितता किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत “01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” के संबंध में लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	26/04/2019
07	210/2018/GS	26/03/2019	स्कूल शिक्षा विभाग	श्री रसराम बघेल, प्राचार्य, शास.उ.मा.वि. सोरिद, जिला—गरियाबंद के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर अग्रिम कार्यवाही के संबंध में।	प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री रसराम बघेल, प्राचार्य, शास.उ.मा.वि. सोरिद, जिला—गरियाबंद के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (नौ) में प्रावधानित “सेवा से पदच्युत (Dismissal) करने” की शास्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	18/04/2019

08	211/2018/GS	27/03/2019	गृह (पुलिस) विभाग	श्री एस.पी.जेठवंत, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुरुद जिला धमतरी हाल सेवानिवृत्त के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के संबंध में।	प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत अपचारी अधिकारी श्री एस.पी.जेठवंत, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी पुलिस हाल-सेवानिवृत्त, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता बरते जाने एवं छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम-9 के अंतर्गत उनकी पेंशन में से 03 प्रतिशत राशि 01 वर्ष के लिये रोके जाने के दंड से दंडित किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	18/04/2019
09	05/2019/GS	24/04/2019	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग रायगढ़ के तत्का. प्रभारी कार्यपालन अभियंता श्री करन सिंह करसोलिया व संलिप्त अधिकारी/कर्मचारी/ठेकेदार पर भा.द.वि. की धारा 420, 467, 468, 409, 471, 477(क) सहपठित धारा 120 बी/34 का अपराध प्रकरण।	प्रकरण का समग्र परीक्षणोपरांत निर्णय लिया गया कि श्री करन सिंह करसोलिया, तत्कालीन प्रभारी कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग रायगढ़ द्वारा कुटुरचित दस्तावेज के आधार पर निविदा आमंत्रित कर वित्तीय अनियमितता किए जाने के फलस्वरूप माननीय विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988) रायगढ़ द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 420, 467, 468, 471 के अंतर्गत दोष सिद्ध होने पर छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(नौ) के तहत "सेवा से पदच्युत (Dismissal) की शास्ति अधिरोपित किए जाने संबंधी लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	29/04/2019
10	08/2016/GS	12/04/2019	लोक निर्माण विभाग	विभागीय जांच में अधिरोपित "शास्ति" के विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 में नियम 23(1) तहत अपील - श्री प्रभु किण्डो, कार्य. अभियंता, सेतु निर्माण संभाग, लोनिवि, जगदलपुर।	प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत अपचारी अधिकारी श्री प्रभु किण्डो, कार्यपालन अभियंता को विभागीय आदेश दिनांक 01.06.2016 द्वारा दिये गये "परिनिन्दा की शास्ति" के विरुद्ध माननीय राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत अपील अभ्यावेदन के परीक्षण पश्चात् "परिनिन्दा की शास्ति" को निरस्त करने का प्रशासकीय निर्णय लिया जाकर समन्वय में लिए गए अनुमोदन पर आयोग की सहमति	21/05/2019

11	03/2019/GS	02/04/2019	गृह (पुलिस) विभाग	निकोलस खलखो, तत्का निरीक्षक, जिला-बिलासपुर हाल-उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, जांजगीर-चांपा के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के संबंध में।	प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत अपचारी अधिकारी श्री निकोलस खलखो, उप पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरते जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के उपनियम (7) के तहत "अनिवार्य सेवा निवृत्ति" की शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	21/05/2019
12	212/2018/GS	27/03/2019	गृह विभाग	श्री मनोहर लाल चौहान, जिला सेनानी (निलंबित), नगर सेना कोण्डागांव के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति के संबंध में छ.ग. लोक सेवा आयोग का अभिमत प्राप्त करने बाबत्।	प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत अपचारी अधिकारी श्री मनोहर लाल चौहान, जिला सेनानी (निलंबित), नगर सेना कोण्डागांव के विरुद्ध प्रकरण में लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति का नहीं है और न ही शासन को आर्थिक हानि हुई है। यह सभी आरोप द्वेष भावना से किया जाना प्रतीत होता है। अतः श्री मनोहर लाल चौहान, जिला सेनानी (निलंबित), नगर सेना कोण्डागांव द्वारा किये गये कृत्य गंभीर प्रकृति का प्रतीत नहीं होने के कारण इनके विरुद्ध दीर्घ शास्ति के रूप में "02 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने" हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय के स्थान पर छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत लघु शास्ति के रूप में "02 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति" अधिरोपित किये जाने के निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	30/05/2019
13	102/2018/GS	25/04/2019	स्कूल शिक्षा विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही- श्री एस.एल.ओगरे, जिला शिक्षा अधिकारी, गरियाबंद एवं अजीत सिंह जाट, वि.खं. शिक्षा अधिकारी, फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद के द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही बरते जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-10(4) के तहत 01-01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु लिए गए प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण में अपचारी अधिकारी श्री एस.एल.ओगरे, जिला शिक्षा अधिकारी, गरियाबंद एवं अजीत सिंह जाट, वि.खं. शिक्षा अधिकारी, फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद के द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही बरते जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-10(4) के तहत 01-01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु लिए गए प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	30/05/2019

14	132/2007/GS	01/06/2019	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	विभागीय जांच विरुद्ध डॉ. कौशल किशोर मिश्रा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी का माननीय न्यायालय निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में जारी विभागीय आदेश दिनांक 20.02.2008 में संशोधन करने हेतु सहमति।	प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि माननीय न्यायालय द्वारा सजा कम करने का आदेश पारित किया गया है, न कि एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का आदेश पारित किया गया है। अतः डॉ. कौशल किशोर मिश्रा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के स्थान पर एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई।	12/06/2019
15	07/2019/GS	24/05/2019	गृह जेल विभाग	प्रकरण क्रमांक 31/2006 विरुद्ध श्री श्यामराज सिंह, जेल अधीक्षक के विरुद्ध शिकायत।	प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत अपचारी अधिकारी डॉ. श्यामराज सिंह (सेवानिवृत्त) तत्कालीन जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल रायपुर के विरुद्ध विभागीय जांच प्रकरण के जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन पर महानिदेशक, जेल से प्राप्त अभिमत अनुसार जांच प्रतिवेदन पर अपचारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को अमान्य करते हुए अपचारी अधिकारी द्वारा हानि पहुंचाये गये शासकीय राशि रुपये 1,09,975.00/- का समायोजन सेवानिवृत्त अधिकारी डॉ. श्यामराज सिंह तत्कालीन जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल रायपुर से किये जाने हेतु लिये गये अनंतिम प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	21/06/2019
16	08/2019/GS	01-04-2019	लोक निर्माण विभाग	लखना-जमघट मार्ग पर खारुन नदी पर पुल निर्माण में की गई अनियमितता के संबंध में। आरोप पत्रादि-श्री एन .बी. सिंह, कार्यपालन अभियंता एवं 08 अन्य लोक निर्माण विभाग।	प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत अपचारी अधिकारी श्री ए.के.जोशी, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, श्री डी.के. नागवंशी, उपअभियंता एवं श्री उमाशंकर ठाकुर, उपअभियंता द्वारा छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप श्री ए. के. जोशी, सेवानिवृत्त, सहायक अभियंता के विरुद्ध पेंशन नियम 1976 के नियम 9 के तहत उनके पेंशन का 05 प्रतिशत भाग 01 वर्ष तक रोके जाने एवं उपअभियंता श्री डी.के.नागवंशी एवं श्री उमाशंकर ठाकुर के विरुद्ध छ .ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(5) के तहत 02 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	21/06/2019

17	09/2019/GS	01/06/2019	लोक निर्माण विभाग	अपराध क्रमांक 112/1999 (वि.प्र.क्र.—02/2004) धारा—13(1) ई, 13(2) पी .सी. एक्ट 1988 विरुद्ध श्री सुरेश चंद्र गोस्वामी, सहायक यंत्री पीडब्ल्यूडी. पाटन दुर्ग छ.ग. के संबंध में।	प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत श्री सुरेश चंद्र गोस्वामी, सहायक यंत्री (से. नि.) को विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) दुर्ग ने विशेष प्रकरण क्रमांक 02/2004 छ.ग. शासन विरुद्ध श्री सुरेशचंद्र गोस्वामी, तत्का . अनुविभागीय अधिकारी में अभियुक्त श्री सुरेशचंद्र गोस्वामी, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी, पाटन, जिला—दुर्ग को निर्णय दिनांक 01.03.2018 के माध्यम से धारा 13(1)(ई) सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 02 वर्ष कठोर कारावास व 5000 रु. अर्थदंड व अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 06 माह अतिरिक्त कारावास से दंडित किये जाने तथा दिनांक 31.12. 2002 को अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के कारण इनके विरुद्ध पेंशन नियम 1976 के नियम 9 के तहत उनके पेंशन का 10 प्रतिशत भाग 04 वर्ष तक रोके जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	21/06/2019
18	11/2019/GS	11/06/2019	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	विभागीय जांच विरुद्ध— श्री अभिमन्यु साहू, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मस्तुरी, जिला— बिलासपुर (छ.ग. लोक आयोग प्रकरण क्रमांक 198/2015)	प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत अपचारी अधिकारी श्री अभिमन्यु साहू, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मस्तुरी, जिला—बिलासपुर, वर्तमान में परियोजना अधिकारी जिला पंचायत महासमुंद के द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही बरतने एवं वित्तीय अनियमितता किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत 01 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के संबंध में लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	24/06/2019
19	61/2017/GS	25/07/2017	गृह जेल विभाग	श्री एस .एल.ठाकुर, सहायक जेल अधीक्षक, उप जेल पेण्डारोड का विभागीय जांच प्रकरण परामर्श के लिए भेजने बाबत।	प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत अपचारी अधिकारी श्री एस.एल.ठाकुर, सहायक जेल अधीक्षक, उप जेल, पेण्डारोड जिला—बिलासपुर, तत्कालीन सहायक जेल अधीक्षक, उप जेल गरियाबंद द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही बरते जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (5) के तहत दिनांक 11.02.2016 से दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से अवनत किए जाने की शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	24/06/2019

20	12/2019/GS	11/06/2019	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	विभागीय जांच विरुद्ध— श्री एस.के.राठौर, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, दंतेवाड़ा वर्तमान में कार्यपालन अभियंता, जिला परियोजना क्रियान्वयन इकाई, छ.ग.ग्रा.स.वि.अ., जिला—नारायणपुर छ.ग.।	प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण अपचारी अधिकारी श्री एस.के.राठौर, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, दंतेवाड़ा, वर्तमान में कार्यपालन अभियंता, जिला परियोजना क्रियान्वयन इकाई, छ.ग.ग्रा.स.वि.अ., जिला—नारायणपुर (छ.ग.) के द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही बरतने एवं वित्तीय अनियमितता किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत 01 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के संबंध में लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	24/06/2019
21	13/2019/GS	21/06/2019	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	150 एम.एम. ब्यास का नलकूप खनन, हैण्डपंप स्थापना एवं चबूतरा निर्माण कार्य ग्राम बिनौरा विकासखंड पलारी जिला बलौदाबाजार (नि.प्र.क्र. 30/2012-13) श्री बी. एन. भोयर कार्यपालन अभियंता, श्री डी.के. मत्स्यपाल, सहायक अभियंता।	प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि श्री बी. एन. भोयर कार्यपालन अभियंता एवं श्री डी.के. मत्स्यपाल, सहायक अभियंता द्वारा 150 एम.एम. ब्यास का नलकूप खनन, हैण्डपंप स्थापना एवं चबूतरा निर्माण कार्य में किये गये लापरवाही के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के तहत परिनिंदा की शास्ति से दंडित किये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	01/07/2019
22	147/2018/GS	09/07/2019	महिला एवं बाल विकास विभाग	नवभारत रायपुर दिनांक 15.05.2017 में प्रकाशित “अमृत योजना का दूध कचरे में” के संबंध में। (श्रीमती शीला डीढ़ही, परियोजना अधिकारी, पंडरिया जिला—कबीरधाम।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत पाया गया कि श्रीमती शीला डीढ़ही, परियोजना अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री अमृत दुग्ध योजना के तहत बच्चों को प्रदाय किये जाने वाले दुग्ध के पैकेट कचरे में पाये जाने, शासन के आदेश एवं निर्देश का पालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप “परिनिंदा” की शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में लिये गये निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	17/07/2019
23	16/2019/GS	06/07/2019	वाणिज्यिक कर विभाग	श्री रोशन सिंह, सहायक आयुक्त, राज्य कर, रायपुर के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत पाया गया कि श्री रोशन सिंह, सहायक आयुक्त, राज्य कर, रायपुर द्वारा आबंटित शासकीय आवास को स्वेच्छाचारिकता से लंबी अवधि तक रिक्त रखने साथ ही वापसी प्रकरण में व्यवसायी के उत्तर का बिना सत्यापन किये कर निर्धारण प्रकरण में त्रुटि किये जाने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अधीन परिनिंदा की शास्ति अधिरोपित करते हुये, प्रकरण समाप्त किये जाने के प्रकरण पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।	18/07/2019

24	206/2018/GS	12/07/2019	सहकारिता विभाग	अपील अभ्यावेदन – श्री टी. आर. साहू, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बालोद।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत श्री टी. आर. साहू, सहायक पंजीयक द्वारा माननीय राज्यपाल को प्रस्तुत अपील अभ्यावेदन के संबंध में विभागीय आदेश दिनांक 15.04.2019 द्वारा श्री साहू के असंचयी प्रभाव से रोके गये एक वेतनवृद्धि को विलोपित करते हुये परिनिंदा की शास्ति अधिरोपित किये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	19/07/2019
25	108/2015/GS	11/07/2019	वन विभाग	खैरागढ़ वनमण्डल अंतर्गत उत्तर बोरतलाव परिक्षेत्र में वर्ष 2006 में फर्जी प्रमाणों के आधार पर शासकीय राशि गबन के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही— स्व. श्री आर.के. निश्चल (बर्खास्त स.व.सं.), जी.एल.साहू (से.नि. स.व.सं.), जी.के.श्रीवास्तव (से. नि. स.व.सं.)।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत खैरागढ़ वनमण्डल अंतर्गत उत्तर बोरतलाव परिक्षेत्र में वर्ष 2006 में फर्जी प्रमाणों के आधार पर अपवंचित राशि रुपये 56,03,971.00 का 70 प्रतिशत राशि रु. 39,22,780.00 श्री आर. के. निश्चल, तत्का. परिक्षेत्राधिकारी से, अपवंचित राशि 30,36,157.00 का 30 प्रतिशत राशि रुपये 9,10,847.00 श्री जी. एल. साहू, तत्का. उप वनमण्डलाधिकारी, डोंगरगढ़ से एवं अपवंचित राशि 25,67,814 .00 का 30 प्रतिशत राशि रुपये 7,70,344 .00 श्री जी. के. श्रीवास्तव तत्का. उप वनमंडलाधिकारी से वसूली किये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	23/07/2019
26	17/2019/GS	10/07/2019	कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही श्री पी. एल. तरवरे, प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कोरबा।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत श्री पी. एल. तरवरे, प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कोरबा द्वारा पोस्टल आर्डर जो छात्रों के द्वारा प्रवेश के संबंध में प्राप्त हुये थे, की राशि 17,258/- को शासकीय कोष में जमा नहीं कराये जाने के कारण शासन को हुई हानि रुपये 17,258/- का 50 प्रतिशत राशि रु. 8,629/- वसूल किये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	25/07/2019
27	31/2014/GS	12/04/2019	कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग	विभागीय जांच विरुद्ध श्री एम. जी. श्यामकुंवर, तत्का. प्रभारी उप संचालक कृषि कबीरधाम।	प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत अपचारी अधिकारी श्री एम.जी.श्यामकुंवर, तत्कालीन प्रभारी उप संचालक कृषि, जिला-कबीरधाम के पद पर पदस्थ के दौरान उनके द्वारा इंदिरा खेत गंगा योजना के तहत नलकूप खनन के लिए कृषकों को वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 में अनुदान राशि स्वीकृति संबंधी प्रकरणों में की गई अनियमितताओं के लिए इनके द्वारा की गई अपील आवेदन दिनांक 17.11.2014 को विभाग द्वारा मान्य करते हुए तत्समय प्राप्त कर रहे वेतनबैण्ड 15600/- तथा ग्रेड पे 6600/- में संचयी प्रभाव से दो प्रक्रम कम करने की दीर्घ शास्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी आदेश दिनांक 08.07.2014 को अपास्त करने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	24/07/2019

28	20/2019/GS	16/07/2019	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	श्री प्रमोद शुक्ला तदर्थ मुख्य नगर पालिका अधिकारी “क” वर्ग का निचले समयमान पर पदावनति करने के संबंध में।	प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत निर्णय लिया गया है कि श्री प्रमोद शुक्ला तदर्थ मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा नगर निगम रायगढ़ में प्रष्य के पद पर नियमों में भर्ती का प्रावधान न होते हुये भी नियमितीकरण किये जाने एवं निकाय की राजस्व आय एवं शासन से हस्तांतरित अनिवार्य आय से अधिक राशि व्यय की जाकर मद परिवर्तन किये जाने के कारण छ.ग. नगर पालिका सेवा कार्यपालन नियम 1973 के नियम 31(4) के अंतर्गत निचले समयमान पर पदावनती का दण्ड अधिरोपित किये जाने के प्रकरण पर आयोग की सहमति दी जाती है।	29/07/2019
29	19/2019/GS	10/07/2019	स्कूल शिक्षा विभाग	अपराध क्रमांक 24/2015 धारा-13(1)डी, 13(2), पी .सी. एक्ट 1988 विरुद्ध एन .के. द्विवेदी, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, मुंगेली।	प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री एन.के. द्विवेदी, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, मुंगेली के विरुद्ध दोषसिद्ध होने पर माननीय विषेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मुंगेली के निर्णय दिनांक 29 .01. 2019 के द्वारा धारा 13(1)डी, 13(2) पी .सी. एक्ट, 1988 एवं 120बी, सहपठित धारा 34 भादवि में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000-2000/- रुपये अर्थदण्ड से दंडित किये जाने एवं अर्थदंड अदा न करने पर 03-03 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दंडित किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (नौ) में प्रावधानित “सेवा से पदच्युत (Dismissal) करने” की शास्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	07/08/2019
30	23/2019/GS	26/07/2019	स्कूल शिक्षा विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत- श्री डी.एस.मरकाम, प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. बुंदेली, जिला-राजनांदगांव।	प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री डी.एस.मरकाम, प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुंदेली, जिला-राजनांदगांव द्वारा वित्तीय अनियमितता बरते जाने एवं छ.ग. सिविल सेवा (आचरण नियम) 1965 के नियम 3 के विपरीत कृत्य किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत 02 आगामी वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के संबंध में लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	07/08/2019

31	22/2019/GS	26/07/2019	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	विभागीय जांच विरुद्ध श्री एल . सी.ताम्रकार, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य सचिव, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक 1 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बिलासपुर, जिला-बिलासपुर छ.ग.। (लोक आयोग में दर्ज प्रारंभिक जांच प्रकरण क्रमांक 172/2012)	प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री एल . सी. ताम्रकार, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता द्वारा वित्तीय अनियमितता किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(5) के तहत "प्राप्त वेतनमान के मूल वेतन में 03 प्रक्रम निम्नतर लाये जाने, जो भविष्य में देय नहीं होगी" संबंधी दीर्घवास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु लिये गये प्रावधिक निर्णय से असहमत होते हुए अपचारी अधिकारी के शीघ्र सेवानिवृत्ति की स्थिति को देखते हुए प्राप्त वेतनमान के मूल वेतन में 01 प्रक्रम निम्नतर लाये जाने के दंड से दंडित किये जाने के निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	07/08/2019
32	24/2019/GS	29/07/2019	सहकारिता विभाग	दंतेश्वरी मैय्या सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद के प्रत्यायुक्त/बोर्ड के निर्वाचन में की गई लापरवाही के लिये श्री डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव विरुद्ध अधिरोपित दण्ड पर सहमति बाबत।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत श्री डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव द्वारा दंतेश्वरी मैय्या सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद के प्रत्यायुक्त/बोर्ड के निर्वाचन में की गई लापरवाही के फलस्वरूप एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	08/08/2019
33	23/2019/GS	23/07/2019	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	लोक आयोग प्रकरण क्रमांक 173/2013 के संबंध में। (श्री एम. के. मिश्रा, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, खण्ड-कोरबा)।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत श्री एम. के. मिश्रा, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, खण्ड- कोरबा द्वारा शासकीय आवास गृह का आबंटन नियमानुसार नहीं किये जाने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966, नियम 10 (चार) के तहत एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	13/08/2019
34	172/2018/GS	06/08/2019	स्कूल शिक्षा विभाग	विभागीय जांच विरुद्ध श्री अर्जुन प्रसाद सिंह, प्राचार्य, शास.उ.मा.वि.कमलेश्वर, वि.खं. मैनपाट, जिला-सरगुजा।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत श्री अर्जुन प्रसाद सिंह, प्राचार्य द्वारा अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने एवं वित्तीय अनियमितता किये जाने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 9(1) के तहत उनके पेंशन से 05 प्रतिशत राशि 01 वर्ष के लिये रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	21/08/2019

35	27/2019/GS	07/08/2019	वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग	श्री दिनकर वासनिक, तत्कालीन जिला प्रबंधक, सी. एस.एम.सी.एल. सह जिला आबकारी अधिकारी, जिला-कबीरधाम, वर्तमान में – जिला प्रबंधक, सी .एस.एम.सी. एल. सह जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, जिला रायगढ़ पर लघु शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत श्री दिनकर वासनिक, तत्कालीन जिला प्रबंधक, सी.एस.एम.सी.एल.सह जिला आबकारी अधिकारी, जिला-कबीरधाम द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु मदिरा दुकान के लिये किराये से लिये भवन के मासिक भाड़ा में अप्रत्याशित वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (एक) के तहत परिनिन्दा की शास्ति अधिरोपित किये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	29/08/2019
36	26/2019/GS	06/08/2019	जल संसाधन विभाग	सर्वश्री जे. एस. मिश्रा, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी एवं आर. के. सिंह, तत्का. उप अभियंता के विरुद्ध आर्थिक क्षति की वसूली बाबत प्रावधिक निर्णय पर परामर्श/सहमति बाबत।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत सर्वश्री जे. एस. मिश्रा, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी (से.नि) एवं आर. के. सिंह, तत्का. उप अभियंता के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में संपादित विभागीय जांच कार्यवाही के निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपचारियों के विरुद्ध शासन को हुई आर्थिक क्षति की वसूली प्रत्येक से राशि रु . 5,24,334/- कमशः पेंशन एवं देय स्वत्वों/वेतन से किये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	30/08/2019
37	29/2019/GS	14/08/2019	गृह जेल विभाग	श्री बाल्मिकी ध्रुव, सहायक जेल अधीक्षक, उप जेल गरियाबंद का विभागीय जांच प्रकरण परामर्श के लिये भेजने बाबत।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत श्री बाल्मिकी ध्रुव, सहायक जेल अधीक्षक, उप जेल गरियाबंद तत्का. सहायक जेल अधीक्षक, जिला जेल जशपुर के द्वारा अपने कर्तव्यों में की गई लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के फलस्वरूप एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से कमी किये जाने की शास्ति अधिरोपित किये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	04/09/2019
38	03/2010/GS	26/06/2019	लोक निर्माण विभाग	रा.रा. क्रमांक 12 ए के किमी . 232 से 241/7 तक सड़क उन्नयन कार्य तथा किमी 235/2-4-6 में बी .यू.एस.जी. का कार्य। विभागीय जांच श्री आर. पी. कुम्हारे, कार्यपालन अभियंता, लोनिवि एवं अन्य 02।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में नियम विरुद्ध श्री आर. पी. कुम्हारे, कार्यपालन अभियंता, श्री आर.एन. पाल अनुविभागीय अधिकारी एवं श्री एस. के. सूर्यवंशी उप अभियंता को दिये गये 02 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव के दण्ड की शासन स्तर से पुष्टि पर आयोग की सहमति दी जाती है।	04/09/2019

39	33/2019/GS	28/08/2019	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	जिला दंतेवाड़ा में किरंदुल आवर्धन जलप्रदाय योजना की धीमी प्रगति के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत लोक सुराज अभियान 2018 की समीक्षा बैठक में किरंदुल दंतेवाड़ा जल आवर्धन योजना की धीमी प्रगति तथा योजना पूर्ण होने में अत्यधिक समय लगने के कारण जिम्मेदार अधिकारी 1. श्री ज्ञानेश्वर बारापात्रे, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, मण्डल-जगदलपुर 2. श्री अभिषेक बाजपेयी, तत्का. अधीक्षण अभियंता, मण्डल-जगदलपुर 3. श्री एच. के. चन्दनिहा (मूलपद कार्यपालन अभियंता) तत्का. अधीक्षण अभियंता, मण्डल-जगदलपुर 4. श्री आर. एन. अजगले, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, मण्डल-जगदलपुर 5. श्री आर. के. धनंजय (मूलपद सहायक अभियंता) तत्का. कार्यपालन अभियंता खण्ड-दंतेवाड़ा की एक-एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	09/09/2019
40	30/2019/GS	28/08/2019	पशुधन विकास विभाग	विभागीय जांच विरुद्ध - डॉ. हनुमान सिंह परिहार (से.नि.) तत्कालीन प्रभारी उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, कोरबा में पदस्थ के दौरान विभिन्न योजनाओं में अनियमितता कर शासन हो हानि पहुंचाये जाने के संबंध में।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत पाया गया कि निःशुल्क बैल जोड़ी प्रदाय योजना के तहत 04 लाख रुपये की क्षति होने की बात एक अनुमान पर आधारित है, वास्तविक नहीं है। अतः कय समिति द्वारा की गई है, तो केवल डॉ. हनुमान सिंह परिहार को दोषी मानते हुये 04 लाख रुपये की वसूली किया जाना उचित नहीं है। अतः डॉ. हनुमान सिंह परिहार (से.नि.) द्वारा की गई अनियमितता के लिये उनके पेंशन का 5 प्रतिशत एक वर्ष की अवधि तक वसूली किये जाने पर आयोग की सहमति दी जाती है।	18/09/2019
41	31/2019/GS	28/08/2019	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत राज्य गुणवत्ता समीक्षकों के निरीक्षण में "U" श्रेणी प्राप्त सड़कों के संबंध में कार्यवाही बाबत। (विरुद्ध श्री आर. एल. साहू, तत्का. सहायक अभियंता, छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई, कोरबा जिला कोरबा)	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत पाया गया कि श्री आर. एल. साहू, तत्का. सहायक अभियंता, छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई, कोरबा, जिला कोरबा द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सड़कों का संधारण/निर्माणाधीन कार्यों में राज्य गुणवत्ता समीक्षकों द्वारा निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता में पायी गई कमियों/त्रुटियों के कारण "U" श्रेणी प्रदान करने तथा शासन के द्वारा जारी नियम/निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना किये जाने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (चार) के अनुसार 01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	19/09/2019
42	36/2019/GS	11/09/2019	जल संसाधन विभाग	सर्वश्री एस. पी. सिंह, तत्का. कार्यपालन अभियंता एवं एच. एक्का, तत्का. उपअभियंता विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत लिये गये प्रावधिक निर्णय पर आयोग की सहमति/परामर्श बाबत।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत पाया गया कि श्री एस. पी. सिंह, तत्का. कार्यपालन अभियंता द्वारा जिला जशपुर, विकासखंड पत्थलगांव में स्थित लोकेरनाला जलाशय के निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(1) के तहत परिनिन्दा की शास्ति अधिरोपित किये जाने के प्रकरण पर आयोग की सहमति दी जाती है।	24/09/2019

43	35/2019/GS	04/09/2019	स्कूल शिक्षा विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही श्री नरेन्द्र कुमार मिश्रा, प्राचार्य हाईस्कूल खुरदुर, वि.ख. कोटा, जिला बिलासपुर।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत पाया गया कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा वर्ष 2017 में आहूत मुख्य परीक्षा में श्री नरेन्द्र कुमार मिश्रा, प्राचार्य हाईस्कूल खुरदुर, वि.ख. कोटा जिला बिलासपुर केन्द्राध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे हैं। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलगहना, जिला बिलासपुर (समन्वयक संस्था) द्वारा विषय संस्कृत की उत्तरपुस्तिका जांच हेतु अन्यत्र भेजा गया था, जहां उत्तर पुस्तिका हेर-फेर किए जाने संबंधी तथ्य प्रमाणित पाए जाने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (चार) के तहत एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	26/09/2019
44	37/2019/GS	11/09/2019	जल संसाधन विभाग	श्री ए. के. यदु, तत्का. प्रभारी कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली के विरुद्ध एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने संबंधी प्रावधिक निर्णय पर सहमति/परामर्श बाबत्।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत पाया गया कि श्री ए. के. यदु, तत्का. प्रभारी कार्यपालन अभियंता द्वारा जल संसाधन संभाग, मुंगेली में मनियारी जलाशय के नहरों में सीमेंट कांक्रिट का लाईनिंग कार्य के अनुबंध की कंडिकाओं में प्रावधानित निर्देश के उल्लंघन किये जाने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	27/09/2019
45	198/2018/GS	19/02/2019	पशुधन विकास विभाग	विभागीय जांच विरुद्ध डॉ. वाय.के. रात्रे, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ द्वारा पशु चिकित्सालय बीजापुर के पदस्थी अवधि में शासन योजना को विफल करने बाबत्।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत पाया गया कि डॉ. वाय.के. रात्रे, द्वारा शासन निर्देशों का अवहेलना की गई, शासन को आर्थिक हानि नहीं हुई है। अतः श्री रात्रे को दीर्घ शास्ति दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के स्थान पर दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने पर आयोग की सहमति दी जाती है।	30/09/2019
46	39/2019/GS	17/09/2019	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत् श्री आर. के. उरांव कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड—महासमुंद।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत पाया गया कि श्री आर. के. उरांव, कार्यपालन अभियंता लो.स्वा.यां. खण्ड—महासमुंद, छ.ग. के प्रकरण में प्रशासकीय अनुमोदन में एक वेतनवृद्धि रोके जाने का अनुमोदन लिया गया है न कि संचयी या असंचयी। आरोप कोई गंभीर प्रकृति का नहीं है और न ही शासन को आर्थिक क्षति हुई है। संचयी प्रभाव से रोके जाने के पूर्व प्रकरण में विभागीय जांच किया जाना था तत्पश्चात यदि कोई गंभीर आरोप व शासन को आर्थिक क्षति होने पर संचयी प्रभाव से रोका जाना था। अपचारी अधिकारी श्री उरांव की एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के स्थान पर एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने पर आयोग की सहमति दी जाती है।	30/09/2019

47	41/2019/GS	27/09/2019	स्कूल शिक्षा विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत श्री जे. आर. डहरिया, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बिलाईगढ़, जिला बलौदाबाजार।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत पाया गया कि श्री जे. आर. डहरिया, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बिलाईगढ़, जिला बलौदाबाजार द्वारा शासकीय हाईस्कूल सलिहा विकासखण्ड बिलाईगढ़ में कार्यरत श्री लक्ष्मी नारायण साहू, व्याख्याता (पंचायत) के त्यागपत्र एवं त्यागपत्र की राशि को तथा शोभना सामल शा.उ.मा.वि. धोबनी के त्याग पत्र की राशि को जिला पंचायत में जमा नहीं कराये जाने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत आगामी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	05/10/2019
48	43/2019/GS	30/09/2019	स्कूल शिक्षा विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत श्री विजय कुमार तिर्की, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, पुसौर, जिला—रायगढ़।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत पाया गया कि श्री विजय कुमार तिर्की द्वारा राज्य सूचना आयोग में अपील प्रकरण क्रमांक 3401/2017 में पारित आदेश का पालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप आगामी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	17/10/2019
49	45/2019/GS	03/10/2019	स्कूल शिक्षा विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही—श्रीमती मदनावती सेठ, प्राचार्य, शा.उ.मा.वि., देवरी, सारागांव, जिला जांजगीर—चांपा।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत पाया गया कि श्रीमती मदनावती सेठ, प्राचार्य, शा. उ.मा.वि., देवरी, सारागांव, जिला जांजगीर—चांपा द्वारा छ.ग. राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (चार) के तहत एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	17/10/2019
50	42/2019/GS	27/09/2019	जल संसाधन विभाग	सर्वश्री एस. के. धमीजा, आर. एल. गौतम, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी एवं टी. एक्का, से.नि. सहायक अभियंता/तत्का. अनुविभागीय अधिकारी के विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 एवं पेंशन नियम 1976 के तहत लिये गये प्रावधिक निर्णय पर आयोग की सहमति/परामर्श बाबत।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत पाया गया हसदेव बैराज जल प्रबंधन संभाग रामपुर/कोरबा के अंतर्गत उप संभाओं में वर्ष 2006-07 के मध्य संधारण एवं रखरखाव कार्य में अनियमित पद्धति से कार्यों का निष्पादन किये जाने के फलस्वरूप श्री एस. के. धमीजा तत्का. अनुविभागीय अधिकारी के विरुद्ध एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से, श्री आर. एल. गौतम तत्का. अनुविभागीय अधिकारी एवं श्री टी. एक्का तत्का. अनुविभागीय अधिकारी (ओनो सेवानिवृत्त) के विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 9 के तहत 05-05 प्रतिशत पेंशन एक वर्ष के लिये रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	18/10/2019

51	38/2019/GS	16/09/2019	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही विरुद्ध श्री डी. पी. पटेल, तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत दरभा, जिला बस्तर।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अपचारी अधिकारी श्री डी. पी. पटेल, के ऊपर अधिरोपित आरोप गंभीर प्रकृति का है। शासन के निर्देशों का उल्लंघन एवं छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियमों का उल्लंघन तथा छ.ग. भण्डार क़य नियम 2002 के नियम 4 के संपूर्ण उपनियमों का उल्लंघन एवं शासन को राशि रुपये 32,81,250/- की अनियमितता किया गया है, ऐसे अपचारी अधिकारी के विरुद्ध "तीन वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव" से रोके जाने के साथ-साथ शासन को हुई राशि रुपये 32,81,250/- की भी वसूली किये जाने पर आयोग की सहमति दी जाती है।	18/10/2019
52	47/2019/GS	11/10/2019	जल संसाधन विभाग	श्री जी. के. फतनानी, सहायक अभियंता के विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत लिये गये प्रावधिक निर्णय पर आयोग की सहमति बाबत।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि जल संसाधन संभाग कोटा के अंतर्गत निर्मित चाटापारा- II एनीकट के क्षतिग्रस्त होने एवं वित्तीय अनियमितता के प्रथमदृष्टया दोषी पाये जाने फलस्वरूप श्री जी. के. फतनानी, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी के विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) निहित प्रावधानांतर्गत आगामी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	18/10/2019
53	49/2019/GS	24/10/2019	सहकारित I विभाग	श्री विनोद कुमार बुनकर, तत्का. उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जांजगीर चोंपा द्वारा की गई अनियमितता के लिए अधिरोपित दण्ड पर सहमति बाबत।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार श्री विनोद कुमार बुनकर, तत्कालीन उप पंजीयक द्वारा किये गये पर्यवेक्षण की कमी को दृष्टिगत रखते हुये छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के तहत "परिनिंदा" की शास्ति अधिरोपित किये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	06/11/2019
54	48/2019/GS	18/10/2019	जल संसाधन विभाग	श्री भगवती प्रसाद वर्मा, सहायक अभियंता (वि./यां.) को सेवा से हटाये जाने हेतु लिये गये प्रावधिक निर्णय पर सहमति बाबत।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार श्री भगवती प्रसाद वर्मा, सहायक अभियंता (वि./यां.) जल संसाधन विभाग के विरुद्ध उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति आ.जा. तथा अनु. जाति विकास विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 16.08.2019 से "मांझी" अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र को निरस्त किये जाने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(8) के तहत "सेवा से हटाये जाने" के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	08/11/2019

55	15/2019/GS	27/06/2019	स्कूल शिक्षा विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत— श्री यादराम ठाकुर, निलंबित प्राचार्य शा.क.उ.मा.वि. गुरुर, जिला—बालोद।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार श्री यादराम ठाकुर, निलंबित प्राचार्य, शा.क.उ.मा.वि. गुरुर, जिला—बालोद द्वारा परीक्षा केंद्र में अन्य किसी अधिकारी/कर्मचारी को बिना सूचना दिये परीक्षा केंद्र छोड़कर चले जाने तथा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत 02 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	11/11/2019
56	32/2019/GS	28/08/2019	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	जांच प्रकरण क्रमांक 135/2012 के संबंध में। (श्री हरिशंकर मरकाम व श्री ए.के. मालवे, कार्यपालन अभियंता)	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार श्री ए. के. मालवे, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता एवं श्री एच. एस. मरकाम, तत्का. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड— कांकर द्वारा माह मई 2008 से अगस्त 2010 तक कुल भुगतान किये गये 91.31 लाख में छ.ग. भवन एवं संनिर्माण/कर्मकार अधिनियम 1996 के तहत एक प्रतिशत की राशि 91,373/- की वसूली नहीं किये जाने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(3) के तहत शासन को हुई वित्तीय हानि राशि रुपये 91,373/- का 50-50 प्रतिशत राशि वसूली किये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	13/11/2019
57	52/2019/GS	11/11/2019	जल संसाधन विभाग	सर्वश्री ए. पी. सिंह, सहायक अभियंता (तत्का. प्रभारी कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, कोण्डागांव) के विरुद्ध दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से अधिरोपित करने के प्रावधिक निर्णय पर सहमति बाबत।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार श्री ए. पी. सिंह, तत्का. प्रभारी कार्यपालन अभियंता (सहायक अभियंता) द्वारा कबोंगा एनीकट कम काजवे एवं मैनपुर एनीकट क्षतिग्रस्त होने एवं गुणवत्ताहीन कार्य किये जाने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के तहत दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	19/11/2019
58	53/2019/GS	13/11/2019	जल संसाधन विभाग	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन प्रकरणों के निपटारे में शिथिलता हेतु 01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित करने हेतु आयोग की सहमति बाबत — विरुद्ध श्री पी. के. नादिया, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, डोंगरगढ़।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार श्री पी. के. नादिया, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग डोंगरगढ़ द्वारा जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव अंतर्गत पीपरखार एवं सुखियारिन जलाशय के निर्माण कार्यों में शिथिलता एवं लापरवाही बरते जाने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) अंतर्गत एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	29/11/2019

59	183/2018/GS	01/01/2019	कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग	अपराध क्रमांक 13/2016, धारा-7, 13(1) डी, 13(2) पी.सी.एक्ट-1988 विरुद्ध श्री एम.के.गढ़वाल को न्यायालय से दंडित किये जाने के फलस्वरूप सेवा से पदच्युत करने बाबत।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार श्री एम.के.गढ़वाल, उप कुलसचिव, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, प्रशासनिक भवन रायपुर, वर्तमान में संयुक्त संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम रायपुर द्वारा आपराधिक प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (नौ) में प्रावधानित "सेवा से पदच्युत (Dismissal) किये जाने के प्रस्ताव पर आयोग की सहमति दी जाती है।	30/11/2019
60	44/2019/GS	30/09/2019	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत श्री संतुराम बैरागी, सहायक परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत बस्तर, जिला जगदलपुर। (विशेष अपराधिक प्रकरण क्रमांक 01/2013)	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार श्री संतुराम बैरागी, सहायक परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत बस्तर को अपराध क्रमांक 01/2013 में दोषी पाये जाने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (नौ) के तहत सेवा से पदच्युत (Dismissal) किये जाने के प्रस्ताव पर आयोग की सहमति दी जाती है।	30/11/2019
61	167/2018/GS	07/12/2018	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	अभियोजन स्वीकृति अपराध क्रमांक 11/2007 विरुद्ध श्री चंद्रेश साहू, तत्कालीन तहसीलदार, दुर्ग वर्तमान में तहसीलदार कबीरधाम।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार श्री चंद्रेश कुमार साहू तहसीलदार के विरुद्ध प्रदत्त दोषसिद्ध एवं दण्डादेश के निर्णय के प्रकाश में छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-10(नौ) के तहत शासकीय सेवा से पदच्युत (DISMISSAL) किये जाने के प्रस्ताव पर आयोग की सहमति दी जाती है।	02/12/2019
62	62/2019/GS	25/11/2019	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	जेल में निरुद्ध सजायापता/न्दकमतजतंपस व्यक्तियों को ईलाज हेतु अस्पताल में भर्ती किये जाने के संबंध में। (डॉ. संजय वानखेड़े)	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार डॉ. संजय वानखेड़े, चिकित्सा अधिकारी (पीजीएमओ मेडिसीन) जिला चिकित्सालय धमतरी (छ.ग.) द्वारा जेल में निरुद्ध श्री मोहनलाल अग्रवाल एवं शिव कुमार अग्रवाल को बिना किसी गंभीर रोग के जेल से बाहर रखे जाने की मंशा से लम्बी अवधि तक जिला चिकित्सालय धमतरी में उपचारार्थ रखे जाने का आरोप कोई गंभीर प्रकृति का नहीं है। अतः डॉ. वानखेड़े को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (चार) के अधीन 02 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के स्थान पर 01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने पर आयोग की सहमति दी जाती है।	06/12/2019

63	63/2019/GS	27/11/2019	जल संसाधन विभाग	श्री ए. के. नाथ, तत्का. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कांकेर के विरुद्ध एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने संबंधी प्रावधिक निर्णय पर आयोग की सहमति बाबत।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार श्री ए. के. नाथ, तत्का. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कांकेर द्वारा जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की समीक्षा बैठक दिनांक 11.09.2017 में अनुपस्थित रहने एवं जिले में अल्पवर्षा से उत्पन्न स्थिति पर किसान संगठनों के प्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक दिनांक 27.08.2017 में पूर्व सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) निहित प्रावधानांतर्गत 01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	17/12/2019
64	64/2019/GS	02/12/2019	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	जेल में निरुद्ध सजायापता/न्दकमतजतपंस व्यक्तियों को ईलाज हेतु अस्पताल में भर्ती किये जाने के संबंध में। (डॉ. व्ही. के. साहू)	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार डॉ. व्ही. के. साहू (शिशुरोग विशेषज्ञ) प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक धमतरी (छ.ग.) द्वारा जेल में निरुद्ध श्री मोहनलाल अग्रवाल एवं शिव कुमार अग्रवाल को बिना किसी गंभीर रोग के जेल से बाहर रखे जाने की मंशा से लम्बी अवधि तक जिला चिकित्सालय धमतरी में उपचारार्थ रखे जाने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (चार) के अधीन 02 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के स्थान पर 01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने पर आयोग की सहमति दी जाती है।	20/12/2019
65	70/2019/GS	16/12/2019	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	विभागीय जांच श्री श्रीकांत दुबे, तत्कालीन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, अंबिकापुर।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार श्री श्रीकांत दुबे, तत्कालीन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, अंबिकापुर को यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम मद अंतर्गत आदिवासी बच्चों के स्कूल बैग क्रय में वित्तीय अनियमितता करने के कारण शासन को रुपये 62,40,478/- की वित्तीय क्षति की वसूली छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (तीन) के तहत करने एवं 04 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	20/12/2019

66	71/2019/GS	11/12/2019	जल संसाधन विभाग	सर्वश्री अगस्टीन टोप्पो, सहायक अभियंता / तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी, पी.डी. खलखो, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी (से.नि.) के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित करने बाबत।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार जल प्रबंध संभाग, जांजगीर के अंतर्गत डोंगा-कहरौद उपशाखा नहर, धिवरा माईनर एवं केरा वितरक नहर में ई.आर.एम. के अंतर्गत कराये जा रहे लाईनिंग कार्यों में अनियमितता किये जाने के कारण श्री अगस्टीन टोप्पो, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी के विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(1) निहित प्रावधानांतर्गत परिनिंदा, श्री डी. एस. कुंजाम, तत्का. उपअभियंता के विरुद्ध नियम 10(4) के तहत एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रस्ताव पर आयोग की सहमति दी जाती है तथा पी.डी. खलखो, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी (से.नि.) हो गये हैं तथा प्रमाणित आरोप से शासन को कोई वित्तीय हानि होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है। अतः उनके पेंशन से 05 प्रतिशत कटौती एक वर्ष तक किये जाने के प्रस्ताव से आयोग सहमत नहीं है।	24/12/2019
67	55/2019/GS	20/11/2019	चिकित्सा शिक्षा विभाग	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में अनियमित प्रवेश दिये जाने के संबंध में विभागीय जांच - डॉ. सुमित त्रिपाठी एवं डॉ. ओंकार खण्डवाल, प्राध्यापक।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार डॉ. सुमित त्रिपाठी, तत्कालीन उप संचालक, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, रायपुर एवं डॉ. ओंकार खण्डवाल प्राध्यापक बाल एवं शिशु रोग विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर द्वारा सत्र 2016-17 में बीएससी नर्सिंग हेतु प्रवेश में काउंसिलिंग तथा सीटों के आबंटन में पदीय दायित्वों के निर्वहन में बरती गई लापरवाही के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधान के तहत 02-02 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के स्थान पर 01-01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने पर आयोग की सहमति दी जाती है।	26/12/2019
68	83/2019/GS	17/12/2019	गृह विभाग	श्रीमती अंजु गुप्ता, परिवीक्षाधीन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के विरुद्ध लंबित शिकायत एवं विभागीय जांच प्रकरणों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने बाबत।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार श्रीमती अंजु गुप्ता, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर जिला अंबिकापुर में पदस्थापना के दौरान वर्ष 2013 में छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशु कूरता अधिनियम 1960 के प्रकरण में क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्यालयीन प्रक्रिया का दुरुपयोग कर प्रकरण के संबंधित वाहन स्वामियों को लाभ पहुंचाने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 3(1)(दो) के तहत परिनिंदा की सजा से दण्डित किये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	30/12/2019

69	68/2019/GS	10/12/2019	उच्च शिक्षा विभाग	विभागीय जांच प्रकरण श्री चन्द्रभान पटेल, सहायक प्राध्यापक।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार श्री चन्द्रभान पटेल, सहायक प्राध्यापक द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2018 के दौरान निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	06/01/2020
70	11/2003/GS	24/12/2019	उच्च शिक्षा विभाग	श्रीमती कल्पना पाण्डेय शासकीय सेवा से पदच्युत सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) को शासकीय सेवा में बहाल किये जाने के संबंध में।	श्रीमती कल्पना पाण्डेय शासकीय सेवा से पदच्युत सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) को शासकीय सेवा से बहाल किये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई।	16/01/2020
71	92/2019/GS	07/01/2020	उच्च शिक्षा विभाग	विभागीय जांच 1. डॉ. वर्षा वैद्य 2. डॉ. एस. के. टण्डन 3. डॉ. देवाश्री चक्रवर्ती।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार 1. डॉ. वर्षा वैद्य 2. डॉ. एस. के. टण्डन 3. डॉ. देवाश्री चक्रवर्ती सहायक प्राध्यापक शासकीय माधव सप्रे महाविद्यालय पेण्डारोड, जिला बिलासपुर के विरुद्ध औचक निरीक्षण के दौरान उनकी स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता के लिये छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत “परिनिंदा” की शास्ति अधिरोपित किये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	23/01/2020
72	21/2017/GS	23/12/2018	सहकारिता विभाग	स्वयं कार्यमुक्त होकर, कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही—श्री दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार श्री दिलीप जायसवाल द्वारा अपने कार्य में की गई लापरवाही के फलस्वरूप रोके गये एक वेतनवृद्धि को विलोपित कर भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने हेतु सचेत करते हुये प्रकरण नस्तीबद्ध किये जाने के संबंध में लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	25/01/2020
73	60/2019/GS	25/11/2019	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	जेल में निरुद्ध सजायापता / Undertrial व्यक्तियों को ईलाज हेतु अस्पताल में भर्ती किये जाने के संबंध में। (डॉ. विनोद पाण्डेय)	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार डॉ. विनोद पाण्डेय, चिकित्सा अधिकारी (पीजीएमओ अस्थिरोग) जिला चिकित्सालय धमतरी (छ.ग.) द्वारा जेल में निरुद्ध श्री मोहनलाल अग्रवाल एवं शिव कुमार अग्रवाल को बिना किसी गंभीर रोग के जेल से बाहर रखे जाने की मंशा से लम्बी अवधि तक जिला चिकित्सालय धमतरी में उपचारार्थ रखे जाने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (चार) के अधीन 02 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के स्थान पर 01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने पर आयोग की सहमति दी जाती है।	31/01/2020

74	102/2019/GS	21/01/2020	स्कूल शिक्षा विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही श्रीमती स्नेहलता, तिवारी शा. उ.मा.वि., सुपेला, जिला-दुर्ग।	तदनुसार श्रीमती मीरा चंद्रवंशी, उच्च श्रेणी शिक्षक को सातवां वेतनमान का लाभ दिये जाने के उद्देश्य से श्रीमती चंद्रवंशी को जिला मेडिकल बोर्ड, दुर्ग की अनुशंसा दिनांक 17.11.2015 से शासकीय कार्य करने में अयोग्य घोषित किये जाने के उपरांत भी बगैर कार्य के श्री स्नेहलता तिवारी, तत्का. प्राचार्य शा.उ.मा.वि. सुपेला के द्वारा दो वर्ष तक वेतन भत्ते का लाभ दिये जाने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	31/01/2020
75	108/2019/GS	29/01/2020	स्कूल शिक्षा विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही श्री एस. पी. पाण्डे, तत्का. जिला परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, अंबिकापुर (से.नि. प्राचार्य)	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार श्री एस. पी. पाण्डे, तत्का. जिला परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, अंबिकापुर (से.नि. प्राचार्य) द्वारा आर्थिक अनियमितता, फर्मा को सामग्री आपूर्ति हुए बिना चेक प्रदान करना, वेट टैक्स की राशि की कटौती कर चालान शासकीय कोषालय में जमा न कर फर्मा को चालान की प्रति देने जैसे गंभीर अवचार किये जाने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 9 के तहत पेंशन से 10 प्रतिशत की राशि 10 वर्ष के लिये रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	31/01/2020
76	156/2017/GS	09/10/2019	उच्च शिक्षा विभाग	विभागीय जांच डॉ. बी. पी. त्रिपाठी, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक, व्यावसायिक परीक्षा मंडल।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार डॉ. बी. पी. त्रिपाठी को पूर्व में आयोग द्वारा दिये गये अभिमत एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति पर पुनर्विचार करते हुये श्री त्रिपाठी को एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के विभागीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	31/01/2020
77	86/2019/GS	24/12/2019	जल संसाधन विभाग	श्री मधुकर कुम्हारे, कार्यपालन अभियंता को सेवा से हटाये जाने हेतु लिये गये प्रावधिक निर्णय पर सहमति बाबत।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार छ.ग. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम 2013 के अधीन निर्मित नियम 2013 के नियम 23(2) में विहित प्रावधान के अनुसार श्री मधुकर आत्मज श्री विट्ठलराव कुम्हारे के पक्ष में कार्यालय कलेक्टर (आदिम जाति एवं हरिजन कल्याण) रायपुर के जिला संयोजक के द्वारा दिनांक 19.08.1981 को जारी "हल्बा" अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र एतद्वारा निरस्त किये जाने के कारण श्री मधुकर विट्ठलराव कुम्हारे, तत्का. कार्यपालन अभियंता (वर्तमान में निर्लंबित) की नियुक्ति निरस्त कर, छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (8) निहित प्रावधानांतर्गत सेवा से हटाये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	31/01/2020

78	103/2019/GS	22/01/2020	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	डॉ. राजीव कुमार सक्सेना (निश्चेतना विशेषज्ञ) तत्का. प्रभारी सीएमओ राजनांदगांव वर्तमान में प्रभारी उपसंचालक संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें एवं अन्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत्। (डॉ. पवन जेठानी)	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार डॉ. पवन जेठानी, चिकित्सा अधिकारी द्वारा वर्ष 2011 में फार्मासिस्ट ग्रेड-02 के 21 पद एवं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के 20 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में त्रुटि पाये जाने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(चार) के तहत 01 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	05/02/2020
79	104/2019/GS	22/01/2020	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	डॉ. राजीव कुमार सक्सेना (निश्चेतना विशेषज्ञ) तत्का. प्रभारी सीएमओ राजनांदगांव वर्तमान में प्रभारी उपसंचालक संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें एवं अन्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत्। (डॉ. श्रीमती अल्पना लुनिया)	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार डॉ. श्रीमती अल्पना लुनिया, चिकित्सा अधिकारी द्वारा वर्ष 2011 में फार्मासिस्ट ग्रेड-02 के 21 पद एवं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के 20 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में त्रुटि पाये जाने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(चार) के तहत 01 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	05/02/2020
80	106/2019/GS	22/01/2020	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	डॉ. राजीव कुमार सक्सेना (निश्चेतना विशेषज्ञ) तत्का. प्रभारी सीएमओ राजनांदगांव वर्तमान में प्रभारी उपसंचालक संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें एवं अन्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत्। (डॉ. मिथलेश चौधरी)	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार डॉ. मिथलेश चौधरी, चिकित्सा अधिकारी द्वारा वर्ष 2011 में फार्मासिस्ट ग्रेड-02 के 21 पद एवं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के 20 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में त्रुटि पाये जाने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(चार) के तहत 01 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	05/02/2020
81	107/2019/GS	22/01/2020	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	डॉ. राजीव कुमार सक्सेना (निश्चेतना विशेषज्ञ) तत्का. प्रभारी सीएमओ राजनांदगांव वर्तमान में प्रभारी उपसंचालक संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें एवं अन्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत्। (डॉ. आर. एस. ठाकुर)	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार डॉ. आर. एस. ठाकुर, ई.एन.टी. विशेषज्ञ द्वारा वर्ष 2011 में फार्मासिस्ट ग्रेड-02 के 21 पद एवं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के 20 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में त्रुटि पाये जाने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(चार) के तहत 01 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	05/02/2020
82	111/2019/GS	01/02/2020	वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत् - श्री अजय कुमार धुर्वे, तत्कालीन सहायक जिला आबकारी अधिकारी, जिला बलौदाबाजार भाटापारा (वर्तमान में सहायक जिला आबकारी अधिकारी, सी.एस.बी.सी.एल. लिंगियाडीह गोदाम, बिलासपुर)	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार श्री अजय कुमार धुर्वे, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, जिला बलौदाबाजार भाटापारा के प्रभार क्षेत्र की मदिरा दुकानों में निर्धारित फुटकर विक्रय दर से अधिक दर पर मदिरा विक्रय किये जाने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(एक) के तहत "परिनिन्दा" की शास्ति अधिरोपित किये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	11/02/2020

83	112/2019/GS	30/01/2020	गृह पुलिस विभाग	विभागीय जांच बाबत—श्री जे. पी. भारतेन्दु तत्का. पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, रामानुजगंज जिला बलरामपुर वर्तमान उप पुलिस अधीक्षक, अअवि, पुलिस मुख्यालय रायपुर।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार श्री जे. पी. भारतेन्दु तत्का. पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, रामानुजगंज जिला बलरामपुर वर्तमान उप पुलिस अधीक्षक, अअवि, पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा रामानुजगंज के पद पर पदस्थ होते हुये दिनांक 09.12.2015 को परिवहन चेक पोस्ट, रामानुजगंज में चेकपोस्ट में तैनात आरक्षक के साथ सार्वजनिक स्थान पर गाली-गलौच व अभद्र व्यवहार एवं बेरियर में चेकिंग हेतु रोके गये वहाँको को अपने पद का दुरुपयोग करते हुये, बिना चेक किये, वाहन को जाने देना एवं शासकीय कार्य में बाधा डालने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के तहत 02 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड बहुत ज्यादा एवं एकतरफा निर्णय है। अतः 02 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के स्थान पर 02 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने पर आयोग सहमत है।	11/02/2020
84	113/2019/GS	01/02/2020	लोक निर्माण विभाग	आडिट रिपोर्ट वर्ष 2012-13 संबंधी कारण बताओ सूचना विषयक।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार आडिट रिपोर्ट वर्ष 2012-13 (सिविल) की कंडिका क्रमांक 2.4.7(प) के अंतर्गत गैर योजना व्यय ऐसे कार्य के निष्पादन जो एम.एन.पी. में सम्मिलित नहीं है, हेतु निधि का व्यापवर्तन नियमों के विरुद्ध किये जाने वाले संबंधित अधिकारीगण (1) श्री एम. एम. श्रीवास्तव, तत्का. कार्यपालन अभियंता, लोनिवि, संभाग अंबिकापुर को परिनिन्दा की शास्ति (2) श्री संजय सूर्यवंशी, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता संभाग अंबिकापुर एवं (3) श्री सुन्नर लाल मरकाम, तत्का. कार्यपालन अभियंता, लोनिवि, संभाग अंबिकापुर की एक-एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	12/02/2020
85	114/2019/GS	06/02/2020	महिला एवं बाल विकास विभाग	आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता/सहायिका नियुक्ति में धांधली बरतने के संबंध में निलंबन प्रस्ताव पर कार्यवाही करने बाबत — श्रीमती अंजेली कुजूर, परियोजना अधिकारी, धरमजयगढ़, जिला — रायगढ़।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार श्रीमती अंजेली कुजूर, परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता/सहायिका की नियुक्ति में अनियमितता किये जाने के फलस्वरूप एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	20/02/2020

86	115/2019/GS	11/02/2020	सामान्य प्रशासन विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही – श्री अभय कुमार मिश्रा (से. नि.रा.प्र.से.) तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धरमजयगढ़ जिला-रायगढ़।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार श्री अभय कुमार मिश्रा (रा.प्र.से.) तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ द्वारा पदस्थापना अवधि के दौरान बरती गई अनियमितता के कारण छ.ग. सिविल सेवायें (पेंशन) नियम 1976 के नियम 9 के अन्तर्गत पेंशन से 5 प्रतिशत राशि दो वर्ष के लिये कटौती किये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	20/02/2020
87	117/2019/GS	14/02/2020	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	छ.ग. लोक आयोग प्रकरण क्रमांक 30/2018 के संबंध में – श्री आर. पी. प्रजापति, सहायक अभियंता, परियोजना उपखण्ड क्रमांक 01 बिलासपुर एवं श्री यू. के. राठिया, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, खण्ड बिलासपुर।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार श्री आर. पी. प्रजापति सहायक अभियंता, परियोजना उपखण्ड क्रमांक 01 बिलासपुर तथा श्री यू. के. राठिया, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, खण्ड बिलासपुर द्वारा अनियमित व्हाउचरों का भुगतान किये जाने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(3) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये शासन को हुई क्षति राशि रुपये 2,29,997/-की वसूली समानानुपातिक रूप से किये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	24/02/2020
88	116/2019/GS	13/02/2020	स्कूल शिक्षा विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही – श्री आर. एल. तारम, प्राचार्य शास.उ.मा.वि. डौण्डीलोहारा, जिला बालोद।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार श्री आर. एल. तारम, प्राचार्य शा.उ.मा.वि. डौण्डीलोहारा जिला बालोद द्वारा छ.ग. राज्य ओपन स्कूल परीक्षा 2016 के 48 बच्चों के परीक्षा फार्म एवं शुल्क की राशि समयावधि में छ.ग.मा.शि. मंडल रायपुर को नहीं भेजने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत आगामी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	27/02/2020
89	118/2019/GS	24/02/2020	जल संसाधन विभाग	श्री आर. के. अग्रवाल, तत्का. कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता हसदेव बांगो नहर संभाग क्रमांक 05 खरसिया के विरुद्ध “परिनिन्दा” शास्ति अधिरोपित करने संबंधी प्रावधिक निर्णय पर आयोग की सहमति बाबत।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार श्री आर. के. अग्रवाल, तत्का. कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता हसदेव बांगो नहर संभाग क्रमांक 05 खरसिया द्वारा संभाग के लिये प्रावधानित राशि एवं तकनीकी स्वीकृति के संबंध में गलत एवं भ्रामक जानकारीयों प्रेषित करने एवं ई.आर.एम. के. कार्य हेतु संभाग के लिये प्रावधानित राशि की तकनीकी स्वीकृतियों प्रदान करने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(1) के निहित प्रावधानांतर्गत “परिनिन्दा” शास्ति अधिरोपित किये जाने के प्रावधिक निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	02/03/2020

90	119/2019/GS	24/02/2020	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बागबाहरा, जिला महासमुंद में आयोजित नेत्र शिविर में ऑपरेशन पश्चात रोगियों में संक्रमण की जांच विषयक।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बागबाहरा, जिला महासमुंद में आयोजित नेत्र शिविर में मोतियाबिन्द की सर्जरी उपरांत मरीजों की आंखों में संक्रमण की घटना के फलस्वरूप डॉ. व्ही. पी. सिंग की 1 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने, डॉ. आर. के. कुरुवंशी के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में विपरीत टीप लिखे जाने पर सहमति व्यक्त की जाती है तथा डॉ. टी. सी. पात्रे की 02 वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के स्थान पर 01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके पर आयोग की सहमति दी जाती है।	7/3/2020
91	121/2019/GS	02/03/2020	मछलीपालन विभाग	आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में उप संचालक मछलीपालन बिलासपुर के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करने के संबंध में।	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तदनुसार श्री सतीश अहिरवार, उप संचालक मछलीपालन जिला बिलासपुर द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन के दौरान 08 तालाबों का ठेका/पट्टा जारी किये जाने के फलस्वरूप आदर्श आचार संहिता का प्रथम दृष्टया उल्लंघन किये जाने के कारण एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के स्थान पर परिनिन्दा की शास्ति अधिरोपित किये जाने पर आयोग की सहमति दी जाती है।	11/3/2020

परिशिष्ट - आठ

मांग संख्या 01, लेखा शीर्ष 2051 लोक सेवा आयोग, (102) राज्य लोक सेवा आयोग, (3689)

राज्य लोक सेवा आयोग (आयोजनेत्तर) वित्तीय वर्ष 2019-20 माह 01.04.2019 से

31.03.2020 तक व्यय एवं समर्पण

आयोजना/आयोजनेत्तर/दत्तमत/भारित

(राशि रूपयों में)

बजट शीर्ष का विस्तृत विवरण	वर्ष 2019-20 के लिये बजट				वर्ष के दौरान अन्य मद से किया गया पुनर्वि नियोजन (-)	कुल योग (6) + (7)	वर्ष के दौरान अन्य मद से प्राप्त पुनर्वि नियोजन (+)	वर्ष 2019-20 के दौरान कुल व्यय (8)-(9)	कुल योग (10)-(11)	बचत राशि	समर्पण हेतु राशि	समर्पण के कारण एवं अभ्युक्तियों		
	मूल बजट प्रावधान	श्रम अनु पूरक	द्वितीय अनु पूरक	तृतीय अनु पूरक										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
#01-चेतन भत्ते, आदि	-	-	-	-	-	-	-	-						नवीन पदों के भरने की प्रक्रिया में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती हो गई एवं तृतीय श्रेणी की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण (पद रिक्त रहने के कारण)
001 चेतन	7,98,00,000	-	-	-	7,98,00,000	-	7,98,00,000	-	7,98,00,000	4,49,70,050	3,48,29,950	3,48,29,950		
003 महंगाई भत्ता	1,75,00,000	-	-	-	1,75,00,000	-	1,75,00,000	-	1,75,00,000	66,23,326	1,08,76,674	1,08,76,674		
014 अन्य भत्ते	1,00,00,000	-	-	-	1,00,00,000	-	1,00,00,000	-	1,00,00,000	35,76,297	64,23,703	64,23,703		
015 चिकित्सा व्यय प्रत्युपति	8,00,000	-	-	-	8,00,000	-	8,00,000	-	8,00,000	5,77,183	2,22,817	2,22,817		आवश्यकतानुसार खर्च किया गया
020 त्योहार अग्रिम	6,00,000	-	-	-	6,00,000	-	6,00,000	-	6,00,000	2,56,000	3,44,000	3,44,000		-

024 चिकित्सा अग्रिम	50,000	-	-	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-	50,000	50,000	-
योग उद्देश्य शीर्ष #01	10,81,00,000	-	-	-	10,81,00,000	0	10,81,00,000	5,57,46,856	5,23,53,144	5,23,53,144	5,23,53,144	-	-
#02- मजदूरी												-	
005-वैदिक वेतनभोगी	16,50,000				16,50,000	-	16,50,000	14,18,586	2,31,414	2,31,414	2,31,414	2,31,414	आवश्यकतानुसार खर्च किया गया
योग उद्देश्य शीर्ष #02	16,50,000	-	-	-	16,50,000	-	16,50,000	14,18,586	2,31,414	2,31,414	2,31,414	-	
#03- यात्रा भत्ता												-	
001 यात्रा भत्ता दौरे आदि पर	6,00,000	-	-	-	6,00,000	-	6,00,000	1,13,459	4,86,541	4,86,541	4,86,541	4,86,541	आवश्यकतानुसार खर्च किया गया
002 यात्रा भत्ता स्थानान्तर	1,00,000	-	-	-	1,00,000	-	1,00,000	8,000	92,000	92,000	92,000	92,000	आवश्यकतानुसार खर्च किया गया
006 अवकाश यात्रा सुविधा	4,00,000	-	-	-	4,00,000	-	4,00,000	-	4,00,000	4,00,000	4,00,000	4,00,000	आवश्यकतानुसार खर्च किया गया
योग उद्देश्य शीर्ष #03	11,00,000	-	-	-	11,00,000	-	11,00,000	1,21,459	9,78,541	9,78,541	9,78,541	-	
#04- कार्यालय व्यय												-	
001 डाकभार व्यय	50,000	-	-	-	50,000	-	50,000	0	50,000	50,000	50,000	50,000	आवश्यकतानुसार खर्च किया गया

002 दूरभाष व्यव	10,00,000	-	-	-	10,00,000	-	10,00,000	-	10,00,000	2,92,775	7,07,225	7,07,225	आवश्यकता नुसार खर्च किया गया
003 फर्नीचर एवं कार्या उप.	10,00,000	-	-	-	10,00,000	-	10,00,000	-	10,00,000	8,70,327	1,29,673	1,29,673	आवश्यकता नुसार खर्च किया गया
004 पुस्तकें एवं नि. पत्रिकाएं	3,00,000	-	-	-	3,00,000	-	3,00,000	-	3,00,000	2,71,161	28,839	28,839	आवश्यकता नुसार खर्च किया गया
005 बिजली एवं जल प्रसार	15,00,000	-	-	-	15,00,000	-	15,00,000	-	15,00,000	7,44,740	7,55,260	7,55,260	आवश्यकता नुसार खर्च किया गया
006 बर्दियां	1,50,000	-	-	-	1,50,000	-	1,50,000	-	1,50,000	85,158	64,842	64,842	आवश्यकता नुसार खर्च किया गया
007 लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	9,00,000	-	-	-	9,00,000	-	9,00,000	-	9,00,000	7,63,544	1,36,456	1,36,456	आवश्यकता नुसार खर्च किया गया
008 अन्य आकस्मिक व्यव	9,00,000	-	-	-	9,00,000	-	9,00,000	-	9,00,000	7,27,421	1,72,579	1,72,579	आवश्यकता नुसार खर्च किया गया
009 सूचना प्रौद्योगिकी	3,00,000	-	-	-	3,00,000	-	3,00,000	-	3,00,000	2,97,395	2,605	2,605	आवश्यकता नुसार खर्च किया गया
011 पेट्रोल तेल आदि	16,00,000	-	-	-	16,00,000	-	16,00,000	-	16,00,000	10,65,213	5,34,787	5,34,787	आवश्यकता नुसार खर्च किया गया
012 अतिथि पर व्यव	1,00,000	-	-	-	1,00,000	-	1,00,000	-	1,00,000	74,684	25,316	25,316	आवश्यकता नुसार खर्च किया गया
योग उद्देश्य #04	78,00,000	-	-	-	78,00,000	-	78,00,000	-	78,00,000	51,92,418	26,07,582	26,07,582	

[illegible]



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

Website : www.psc.cg.gov.in